

उद्यमशीलता का पुनरुत्थान

16<sup>वीं</sup> वार्षिक प्रतिवेदन  
16<sup>th</sup> ANNUAL REPORT  
2015-2016

Reviving Entrepreneurship



सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

(भारत सरकार एवं सिडबी द्वारा स्थापित)

**Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises**

(Set up by Government of India and SIDBI)

# Participation of CGTMSE in ACSIC Programme



Chief Delegates of 28th ACSIC Conference held at Bali, Indonesia between November 16-20, 2015



Delegates of 25th ACSIC Training Programme held in Mumbai between September 06-11, 2015



# विषय-सूची

## C O N T E N T S

प्रेषण पत्र	01	Letter of Transmittal
अध्यक्ष का संदेश	02	Message from the Chairman
न्यासी मंडल यथा 25 अगस्त, 2016	03	Board of Trustees as on August 25, 2016
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष में सी.जी.टी.एम.एस.ई. के कामकाज की रिपोर्ट	04	Report on the working of the CGTMSE for the year ended March 31, 2016
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	05	Auditor's Report
तुलन-पत्र और लेखा विवरण	06	Balance Sheet & Statement of Accounts

## प्रेषण-पत्र

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट  
1002-1003, नमन केंद्र 10वां तल,  
सी-31, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स  
बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051.

02 सितम्बर, 2016

प्रति  
अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)  
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार  
विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय  
निर्माण भवन सातवां तल "ए" विंग  
मौलाना आज़ाद रोड,  
नई दिल्ली-110108

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक  
प्रधान कार्यालय :  
सिडबी टावर, 15 अशोक मार्ग,  
लखनऊ - 226001

प्रिय महोदय,

भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (अवस्थापक) द्वारा निष्पादित ट्रस्ट की घोषणा की धारा 14.2 के निबंधनानुसार, मैं निम्नलिखित दस्तावेज एतद्वारा अग्रेषित कर रहा हूँ :

- (h) 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित ट्रस्ट के लेखापरीक्षित लेखा व लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति एवं  
(hh) 31 मार्च 2016 को समाप्ति अवधि हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट के कार्यकलापों पर रिपोर्ट की प्रतिलिपि

भवदीय

ह/-

(प्रदीप मालगांवकर)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुंबई





# अध्यक्ष का संदेश



**डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, भाप्रसे**  
अध्यक्ष, सीजीटीएमएसई

मैं सहर्ष सूचित करता हूँ कि ऋण गारंटी योजना ने वित्त वर्ष 2015-16 में 5 लाख से अधिक गारंटियों को अनुमोदन प्रदान कर एक और मील का पत्थर पार किया है, जो अब तक एक वर्ष में सर्वाधिक है। वर्ष 2015-16 तक संचित गारंटी अनुमोदनों की संख्या 23,23,673 और राशि ₹1,08,991 करोड़ हो गई है। इसमें विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः 28% और 21% की वृद्धि दर्ज की गई। सीजीटीएमएसई के लिए यह भी अत्यंत संतोष का विषय है कि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान ट्रस्ट द्वारा अनुमोदित ऋण गारंटियों की संचित राशि और योजना में शामिल ऋणों की संचित संख्या क्रमशः ₹1,00,000 करोड़ और 2 मिलियन का आँकड़ा पार कर गई है।

वित्त वर्ष 2015-16 सीजीटीएमएसई के लिए परिचालन और एमएसई क्षेत्र में इसकी पहुँच की दृष्टि से बड़ा अहम रहा है। मैं सहर्ष सूचित करता हूँ कि ऋण गारंटी योजना ने वित्त वर्ष 2015-16 में 5 लाख से अधिक गारंटियों को अनुमोदन प्रदान कर एक और मील का पत्थर पार किया है, जो अब तक एक वर्ष में सर्वाधिक है। वर्ष 2015-16 तक संचित गारंटी अनुमोदनों की संख्या 23,23,673 और राशि ₹1,08,991 करोड़ हो गई है। इसमें विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः 28% और 21% की वृद्धि दर्ज की गई। सीजीटीएमएसई के लिए यह भी अत्यंत संतोष का विषय है कि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान ट्रस्ट द्वारा अनुमोदित ऋण गारंटियों की संचित राशि और योजना में शामिल ऋणों की संचित संख्या क्रमशः ₹1,00,000 करोड़ और 2 मिलियन का आँकड़ा पार कर गई है।

ट्रस्ट ने 16 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। तथापि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में विचारों के अंकुरण के लिए हितकर वातावरण बनाने की दृष्टि से यदि सीजीटीएमएसई के अस्तित्व के प्रभाव का आकलन किया जाए, तो ये 16 वर्ष बहुत अर्थ पूर्ण रहे हैं। सीजीटीएमएसई की सफलता ने सरकार को सामाजिक-आर्थिक महत्त्व के उन क्षेत्रों की पहचान करने का मार्ग प्रशस्त किया है, जो विकास के सूत्रधार हैं और जिन्हें गारंटी की आवश्यकता है। इसके फल स्वरूप राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी ट्रस्ट लि (एनसीजीटीसी) की स्थापना हुई और शैक्षिक ऋण, कोशल विकास ऋण, फैंक्टरिंग, मुद्रा ऋण, स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, आदि विभिन्न ऋण गारंटी कार्यक्रमों का उद्भव हुआ।

वर्ष के दौरान, ट्रस्ट को 25वें एशियन क्रेडिट सप्पलीमेंटेशन इंस्टीट्यूशन कॉन्फेडरेशन (एसीएसआईसी) का प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत (मुंबई) में आयोजित करने का विशिष्ट अधिकार प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम का मूल विषय "क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल क्रेडिट गारंटी आर्गेनाइजेशन" पर केंद्रित था। एसीएसआईसी के 25वें प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर क्रेडिट गारंटी संगठनों में प्रचलित सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों का अध्ययन कर उन्हें अंगीकार करना था। सीजीटीएमएसई के लिए यह एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम था। सीजीटीएमएसई ने वर्ष के दौरान बाली, इंडोनेशिया में आयोजित 28वें एसीएसआईसी सम्मेलन में भाग लिया और भारत में सीजीटीएमएसई के अनुभव के बारे में अपना वृत्त-अध्ययन प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का मूल विषय "मेजरिंग साउंडनेस एंड की परफॉरमेंस इंडिकेटर ऑफ गारंटी कारपोरेशन" था। सीजीटीएमएसई के प्रयासों, इसके गारंटी उत्पाद की सर्वसमावेशी संरचना, बड़ी संख्या में गारंटियों की देखरेख की क्षमता और बहुत कम समय में अपना प्रभाव स्थापित कर लेने के लिए अन्य अन्तरराष्ट्रीय प्रतिभागियों ने इसकी सराहना और प्रशंसा की।

इस वर्ष के दौरान, नेपाल और मिस्र (ईजिप्ट) के गारंटी कारपोरेशनों के एक शिष्ट मंडल ने सीजीटीएमएसई का दौरा किया। ऋण गारंटी योजना को दीर्घ स्थायी बनाने के लिए सीजीटीएमएसई द्वारा उठाए गए कदमों से शिष्ट मंडल को अवगत कराया गया। शिष्ट मंडल ने विचार-विमर्शों द्वारा पर्याप्त ज्ञान को संजोया।

ऋण गारंटी योजना को एक दीर्घ स्थायी उत्पाद बनाने के लिए ट्रस्ट प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, ट्रस्ट ने जोखिम कम करने के कतिपय उपाय किए हैं, जिनमें बड़े आकार के ऋणों के लिए इसकी सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा जोखिम की साझेदारी में वृद्धि करना, सदस्य ऋणदात्री संस्था द्वारा आस्तियों की सीजीटीएमएसई में दर्ज कराई गई गुणवत्ता और दावों की अदायगी के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, विभेदक कीमत प्रणाली लागू करना और अति

चुनिंदा आधार पर ट्रस्ट में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सदस्य ऋणदात्री संस्था के रूप में पंजीकृत करना, आदि प्रमुख हैं। ट्रस्ट ने निपटान के बाद सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के निरीक्षणों की संख्या बढ़ाकर, अपने निरीक्षण कार्यों, दावा निपटान की परवर्ती निगरानी क्रिया विधि को और पैना किया है।

सीजीटीएमएसई, प्रारंभ से ही ऋण गारंटी योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, प्रतिभागियों को सीजीटीएमएसई की गतिविधियों की जानकारी देने के उद्देश्य से, ट्रस्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित टाउन हाल/एमएसएमई अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में सक्रियता से भाग लिया। बैंकों के परिचालन से जुड़े अधिकारियों के लिए सीजीटीएमएसई ने सीटी (सिडबी प्रशिक्षण संस्थान), भुवनेश्वर के साथ मिलकर एक संकेंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही, सीजीटीएमएसई ने भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक की कार्यशालाओं में भाग लिया, जो वीडियो-कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से उनके देश भर के अंचल कार्यालयों के लिए आयोजित की गई थीं। इनमें उत्पादों और कार्य प्रणाली की जानकारी के साथ-साथ गारंटी से जुड़े मामलों का भी समाधान किया गया। सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के साथ हुए विचार-विमर्श और प्राप्त प्रति सूचनाएँ एवं अनुभव इस योजना की कार्य प्रणाली और उत्पाद में अतिरिक्त सुधार करने में अत्यंत लाभकारी होने चाहिए। ट्रस्ट ने अपनी योजना के बारे में एक अद्यतन पुस्तिका भी प्रकाशित की, जिसमें अन्य बातों के साथ, परिचालन प्रक्रियाओं को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है और सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के उपयोग के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दिए गए हैं।

ट्रस्ट निरंतर अपनी सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को दी जाने वाली सेवा में सुधार को बहुत महत्त्व देता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ट्रस्ट ने स्वयं अपना टोल फ्री नंबर (1800-222-659) संस्थापित किया है, जिसके द्वारा एमएलआई ट्रस्ट से तुरंत संपर्क कर सकती हैं। इस पहल की सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं ने बहुत सराहना की है और इससे ट्रस्ट को एमएलआई के प्रश्नों का शीघ्र समाधान करने में मदद मिली है। ट्रस्ट ने कतिपय कार्य प्रणालियों को स्वचालित रूप में परिवर्तित कर उन्हें पुनः संरचित किया है, ताकि प्रक्रिया में लगने वाला समय कम किया जा सके और अनावश्यक कागजी कार्रवाई से बचा जा सके और इस प्रकार सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को बेहतर सेवा मुहैया कराई जा सके।

मैं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सिडबी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके बहुमूल्य, सामयिक और निरंतर समर्थन से हमें एमएसई क्षेत्र में समर्थ वातावरण बनाने की दिशा में हमारे प्रयत्नों को बल मिला है। सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के सहयोग और सीजीटीएमएसई की भागीदार संस्थाओं के समर्पित प्रयत्नों के लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ, जिससे सीजीटीएमएसई को अपने परिचालनों को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में मदद मिली। मैं सीजीटीएमएसई की टीम का उनके कठिन परिश्रम और समर्पण के लिए अभिनंदन करता हूँ, जिसके कारण रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान अनेक कीर्तिमान स्थापित किए जा सके और आशा करता हूँ कि भविष्य में वे नई ऊँचाइयों तक पहुँचने के प्रयास करते रहेंगे।

सादर,

स्थान : मुम्बई  
तारीख : 22 सितंबर, 2016

ह/—  
डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, भाप्रसे  
अध्यक्ष, सीजीटीएमएसई

## सीजीटीएमएसई के न्यासी मंडल के सदस्य (अगस्त 25, 2016 की स्थिति के अनुसार)



डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, भाप्रसे  
अध्यक्ष (पदेन)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,  
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,  
प्रधान कार्यालय : "सिडबी टॉवर",  
15, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

श्री एस. एन. त्रिपाठी, भाप्रसे  
उपाध्यक्ष (पदेन),  
अपर सचिव व विकास आयुक्त (एमएसएमई),  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार,  
निर्माण भवन, 7वां तल, "ए" विंग,  
मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली-110108



श्री अश्विनी कुमार  
सदस्य (पदेन),  
अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ व  
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, देना बैंक  
सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,  
बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051

श्री प्रदीप मालगांवकर – सदस्य सचिव,  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम गारंटी निधि ट्रस्ट  
1002-1003, नमन केंद्र, 10वां तल,  
सी-31, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स  
बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051





## सीजीटीएमएसई की रिपोर्ट

### सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट के कार्यकलाप की रिपोर्ट 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

#### परिचय

#### 1. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट की मूल निधि

1.1 इस ट्रस्ट की मूलनिधि का अंशदान भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा 4:1 के अनुपात में किया गया है। इस ट्रस्ट की प्रतिबद्ध मूलनिधि ₹ 2,500 करोड़ है, जिसका अंशदान भारत सरकार (₹ 2,000 करोड़) और सिडबी (₹ 500 करोड़) द्वारा किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान ट्रस्ट को इस मूलनिधि के लिए ₹ 42.49 करोड़ प्राप्त हुए, जिसमें से भारत सरकार का योगदान ₹ 24.74 करोड़ रहा, जबकि सिडबी ने ₹ 17.75 करोड़ प्रदान किए, जिससे मूलनिधि की सकल धनराशि में दोनों का अलग-अलग योगदान क्रमशः ₹ 1935.98 करोड़ और ₹ 495.56 करोड़ हो गया। ट्रस्ट की कुल मूलनिधि 31 मार्च 2016 को ₹ 2431.54 करोड़ थी जो कि निर्धारित मूलनिधि का 97.26% है। इस मूलनिधि में वर्ष-वार योगदान का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

#### समूह निधि में अंशदान (₹ करोड़)

वित्तीय वर्ष	भारत सरकार	सिडबी	कुल
2001	100.00	25.00	125.00
2002	100.00	25.00	125.00
2003	141.62	35.40	177.02
2004	192.00	51.84	243.84
2005	211.63	49.07	260.70
2006	200.00	50.00	250.00
2007	124.00	33.00	157.00
2008	198.00	47.50	245.50
2009	122.10	34.00	156.10
2010	135.91	30.50	166.41
2011	200.00	50.00	250.00
2012	1.00	1.23	2.23
2013	35.00	7.77	42.77
2014	74.99	18.75	93.74
2015	74.99	18.75	93.74
2016	24.74	17.75	42.49
<b>कुल</b>	<b>1935.98</b>	<b>495.56</b>	<b>2431.54</b>

1.2 भारत सरकार और सिडबी से अभी ₹ 68.46 करोड़ का अंशदान मिलना बकाया है। सदस्य ऋणदाता संस्थानों में गारंटी कवर की

#### सीजीटीएमएसई मूल निधि




बढ़ती सर्वप्रियता और गारंटी अनुमोदनों में तेज बढ़ोतरी के कारण यह अनुभव किया गया कि इस निधि को समुचित रूप से तत्काल बढ़ाना होगा। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है।

#### 2. सदस्य ऋणदाता संस्थाएँ

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार वर्ष 2012-13 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन के परिणामस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक गारंटी कवर प्राप्त करने वाली ग्रामीण बैंकों की संख्या 73 से घटकर 66 हो गई है। इन 66 ग्रामीण बैंकों को उनके पंजीकरण मानदंडों के कारण, गारंटी अनुमोदनों को जारी रखने के लिए ट्रस्ट के साथ प्रत्येक को पुनःपंजीकृत होना पड़ा। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 66 ग्रामीण बैंकों में 12 ग्रामीण बैंक जो संशोधित पंजीकरण मानदंडों का अनुपालन करते थे उन्हें ट्रस्ट के सदस्य ऋणदाता संस्थान के रूप में पुनःपंजीकृत कर लिया गया। ट्रस्ट के साथ पुनःपंजीकृत होने वाले सदस्य ऋणदाता संस्थाओं की संख्या वर्ष 2016 की समाप्ति तक बढ़ कर 21 हो गई। 31 मार्च, 2016 तक ट्रस्ट के कुल पात्र सदस्य ऋणदाता संस्थाओं की संख्या 127 है।

#### सदस्य ऋणदाता संस्थाएँ



(अनुलग्नक-1) जिनमें 45 ऐसे ग्रामीण बैंक—सदस्य ऋणदाता

संस्थान है जिनका हालाँकि ट्रस्ट में पुनःपंजीकरण नहीं हुआ है किन्तु वे विगत अवसर पर गारंटी कवर प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान में 66 ग्रामीण बैंक, 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 4 विदेशी बैंक और 9 वित्तीय संस्थान ट्रस्ट से गारंटी कवर प्राप्त करने के लिए पात्र है।

### 3. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत परिचालन

3.1 मार्च 31, 2016 की समाप्ति तक कुल 119 सदस्य ऋणदाता


संस्थाएँ गारंटी कवर प्राप्त कर रही थीं। इस ट्रस्ट की स्थापना से लेकर 31 मार्च 2016 तक दिए गए गारंटी अनुमोदनों का वर्ष-वार विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

3.2 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कुल 5,13,978 गारंटियों के लिए समग्रतः ₹. 19,949 करोड़ की धनराशि अनुमोदित की गई। संचयी रूप से, 31 मार्च 2016 को कुल 23,23,673 खातों के लिए ₹. 1,08,991 करोड़ की गारंटी अनुमोदित की जा चुकी है।


वित्तीय वर्ष	सक्रिय सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या	अनुमोदित ऋण सुविधाओं की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की रकम (₹ करोड़)	अनुमोदित संचयन गारंटियाँ (₹ करोड़)	औसत आकार (₹ लाख)
2000-01	9	951	6	6	0.63
2001-02	16	2,296	30	36	1.28
2002-03	22	4,955	59	94	1.18
2003-04	29	6,603	118	212	1.78
2004-05	32	8,451	267	539	3.16
2005-06	36	16,284	462	1,001	2.83
2006-07	40	27,457	705	1,705	2.56
2007-08	47	30,285	1,056	2,702	3.48
2008-09	57	53,708	2,199	4,824	4.09
2009-10	85	1,51,387	6,875	11,560	4.54
2010-11	106	2,54,000	12,589	23,846	4.95
2011-12	109	2,43,981	13,784	37,139	5.65
2012-13	117	2,88,537	16,062	52,600	5.57
2013-14	117	3,48,475	18,188	70,026	5.22
2014-15	119	4,03,422	21,275	90,446	5.27
2015-16	119	5,13,978	19,949	1,08,991	3.88
<b>31.03.2016 को संचयी आधार पर</b>			<b>1,08,991</b>		

\* अन्तर्वर्ती निरस्तीकरणों/संशोधनों के कारण वास्तविक आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

#### अनुमोदनों की संख्या (संचयी)




#### अनुमोदनों की राशियाँ (संचयी)





### सदस्य ऋणदाता संस्था-वार कवरेज

3.3 वित्तीय वर्ष 2016 के लिए सदस्य ऋणदाता संस्था-वार गारंटी कवरेज और 31 मार्च 2016 को संचयी कवरेज को **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। वर्ष के दौरान, कवर किए गए प्रस्तावों की संख्या की दृष्टि से, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत, पाँच शीर्षस्थ सदस्य ऋणदाता संस्थाएँ इस प्रकार रहीं - केनरा बैंक (₹ 2876 करोड़ हेतु 97,950 प्रस्ताव), बैंक ऑफ़ इंडिया (₹ 2884 करोड़ हेतु 70,417 प्रस्ताव), पंजाब नेशनल बैंक (₹ 1,416 करोड़ हेतु 48,037 प्रस्ताव), तथा भारतीय स्टेट बैंक (₹ 2,084 करोड़ हेतु 42,724 प्रस्ताव) और सिंडिकेट बैंक (₹ 1,554 करोड़ हेतु 33,473 प्रस्ताव)।




3.4 संचयी रूप में, 31 मार्च 2016 को भारतीय स्टेट बैंक को 3,69,790 प्रस्तावों के लिए ₹ 17,783 करोड़ की सर्वोच्च कवरेज दी गई, इसके बाद केनरा बैंक (₹ 10,146 करोड़ के लिए 3,25,250 प्रस्ताव), बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए (₹ 15,738 करोड़ के लिए 2,69,603 प्रस्ताव) पंजाब नेशनल बैंक (₹ 8,188 करोड़ के लिए 1,86,613 प्रस्ताव) तथा इंडियन ओवरसीज बैंक (₹ 5,626 करोड़ के लिए 1,22,129 प्रस्ताव) का स्थान रहा।

### राज्य-वार कवरेज

3.5 वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए, राज्य-वार गारंटी कवरेज और 31 मार्च 2016 को संचयी कवरेज का विवरण, क्रमशः **अनुलग्नक-III** में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान राज्यों में से तमिलनाडु में सर्वाधिक संख्या में आवेदन दायर किए गए (₹ 1,785 करोड़ हेतु 56,472 प्रस्ताव), इसके बाद उत्तर प्रदेश (₹ 1,816 करोड़ हेतु 52,739 प्रस्ताव), महाराष्ट्र (₹ 2,551 करोड़ हेतु 49,279 प्रस्ताव), कर्नाटक (₹ 2,345 करोड़ हेतु 48,731 प्रस्ताव) और केरल (₹ 933 करोड़ हेतु 47,120 प्रस्ताव) का स्थान रहा।

3.6 क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 31 मार्च 2016 को राज्य-वार संचयी कवरेज से ज्ञात होता है कि अनुमोदित प्रस्तावों में उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक 2,59,524 प्रस्तावों का अनुमोदन करके ₹ 10,737 करोड़ दिए गए, इसके बाद तमिलनाडु (₹ 8,925 करोड़ हेतु 2,28,680 प्रस्ताव), केरल (₹ 5,222 करोड़ हेतु 2,16,706 प्रस्ताव), कर्नाटक (₹ 10,147 करोड़ हेतु 2,01,792 प्रस्ताव) और महाराष्ट्र (₹ 12,312 करोड़ हेतु 1,71,446 प्रस्ताव) का स्थान रहा।



### उद्योग-वार कवरेज

3.7 गारंटीकृत मामलों (संचयी रूप से तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान) का उद्योग-क्षेत्रवार विश्लेषण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

### स्तर-वार कवरेज

3.8 क्रेडिट गारंटी योजना के तहत स्तर-वार कवरेज के आँकड़े (संचयी एवं वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान) **अनुलग्नक-V** में दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान अनुमोदित अधिकांश प्रस्ताव छोटे ऋणों से संबंधित थे। इस दौरान, 4,23,367 प्रस्तावों के लिए ₹ 5,914 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया, जो ₹ 5 लाख तक के ऋणों से संबंधित थे और इस संख्या की दृष्टि से, वित्तीय वर्ष 2016 के लिए अनुमोदित कुल गारंटियों का 82% है। वित्तीय वर्ष 2016 में अनुमोदित 5,13,978 प्रस्तावों की रकम ₹ 19,949 करोड़ होती है, इनमें से 2,44,943 प्रस्ताव (48%) ऐसे थे जो एक लाख रुपये तक के ऋणों से संबंधित थे; कुल 90,867 प्रस्ताव (18%) ऐसे थे जिनका क्रेडिट घटक ₹ 1,00,001 से ₹ 2 लाख के दायरे में था; 87,557 प्रस्ताव (17%) ₹ 2,00,001 से ₹ 5 लाख के दायरे में थे; 53,712 प्रस्ताव (10%) ₹ 5,00,001 से ₹ 10 लाख के दायरे में थे; 25,727 प्रस्ताव (5%) ₹ 10,00,001 से ₹ 25 लाख के दायरे में थे; 7,892 प्रस्ताव (2%) ₹ 25,00,001 से ₹ 50 लाख के दायरे में थे; और 3,280 प्रस्ताव (1%) ₹ 50 लाख से ₹ 100 लाख के ऊपरी वर्ग में थे।

## कवर किए ऋणों का औसत आकार

3.9 वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए ऋणों के औसत आकार को देखा जाए तो यह उल्लेखनीय रूप से घटकर ₹ 3.88 लाख हो गया है जबकि विगत वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान यह आंकड़ा ₹ 5.27 लाख रुपये था। इसका मुख्य कारण ट्रस्ट द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थाओं से प्राप्त ₹ 50 लाख से अधिक की ऋण सुविधाओं वाले आवेदनों में कमी है। जबकि सदस्य ऋणदाता संस्थाओं के जोखिम के अंश को ट्रस्ट द्वारा बढ़ा कर 50% कर दिया गया है।

## दावों का निपटान और समापन

3.10 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 33,264 आवेदन गारंटी इनवोकेशन और चूककर्ता कर्जदारों के प्रति किए गए दावों के निपटान के लिए प्राप्त हुए, जिनके लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट द्वारा गारंटी जारी की गई थी और गारंटी प्रभावी थी। दायर किए गए आवेदनों में से 34,810 यूनितों के संबंध में किए गए दावे प्रथम किस्त के लिए पहले ही निपटाए जा चुके हैं, जिनकी राशि ₹ 1005 करोड़ बनती है। संघीय रूप से, 31 मार्च 2016 को, ₹ 98.46 करोड़ के लिए 1472 यूनितों के दावों को अस्वीकार किया जा चुका है और 354 यूनितों के संबंध में ₹ 21.98 करोड़ के दावों को सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा वापस लिया जा चुका है।

## दावों निपटान पश्चात वसूली

3.11 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान दावा निपटान पश्चात वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस मद में ट्रस्ट को वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त ₹ 31 करोड़ की तुलना में इस वर्ष ₹ 58 करोड़ की प्राप्ति हुई। दावा निपटान पश्चात निगरानी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रीत करने के परिणामस्वरूप यह संवृद्धि संभव हो सकी।

## 4 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम निधि

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में हस्तशिल्प क्षेत्र के कारीगरों को सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ऋणों के लिए गारंटी शुल्क तथा वार्षिक सेवा शुल्क की पूर्ती हेतु ₹ 2.80 करोड़ की अग्रिम निधि सीजीटीएमएसई के पास रखी थी। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा रखी हुई इस निधि का ट्रस्ट द्वारा लगभग उपयोग कर लिया गया है। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान ₹ 0.25 करोड़ की अतिरिक्त अग्रिम राशि, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के हस्तशिल्प क्षेत्र को सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ऋणों के लिए गारंटी शुल्क तथा वार्षिक सेवा शुल्क की पूर्ती हेतु रखी गई है। इस राशि के उपयोग का प्रारंभ अभी किया जाना है।

## 5 विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की अग्रिम निधि

हथकरघा क्षेत्र के कारीगरों को सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ऋणों के संबंध में गारंटी शुल्क तथा वार्षिक सेवा शुल्क की पूर्ती हेतु विकास आयुक्त (हथकरघा) ने वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹ 82.50 लाख की अग्रिम निधि रखी थी। ₹ 82.50 लाख की उक्त राशि में ₹ 26.25 लाख की वह राशि शामिल नहीं है, जो वाराणसी और मुर्शिदाबाद के मेगा क्लस्टरों के हथकरघा बुनकरों के लिए

गारंटी कवर संभव बनाने के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से 23 दिसम्बर, 2011 को प्राप्त हुई थी। यथा 31 मार्च, 2016 को सीजीटीएमएसई ने विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा रखी गई ₹ 82.50 लाख की अग्रिम निधि में से ₹ 69.62 का उपयोग कर लिया था।

## 6. वित्तीय वर्ष 2016 की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

6.1 25वीं एसीएसआईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम और 28वीं एसीएसआईसी सम्मलेन।

6.1.1 इस वर्ष के दौरान सीजीटीएमएसई द्वारा एशियन क्रेडिट सप्लिमेंटेशन इंस्टीट्यूशन फेडरेशन (एसीएसआईसी) के तत्वावधान में 25वें एसीएसआईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विषय "संपोषणीय ऋण गारंटी संस्था का सृजन" था। इस कार्यक्रम में कुल 42 प्रतिभागियों ने भाग लिया, इसमें भारत सहित 10 एसीएसआईसी सदस्य देशों की 14 ऋण गारंटी संस्थाओं से आए 33 प्रतिनिधि शामिल थे। इस कार्यक्रम में श्री एम वी टंकसाले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय बैंक संघ ने अध्यक्षीय भाषण दिया। प्रतिभागी देशों की ओर से कुल 10 प्रस्तुतीकरण किए गए जो कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय पर केन्द्रित थे। कार्यक्रम में हुई चर्चा अत्यंत सार्थक थी और इससे कार्यक्रम की उपादेयता में वृद्धि हुई। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की खूब सराहना की।



अध्यक्ष, सीजीटीएमएसई – 25वें एसीएसआईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम, मुंबई

6.1.2 15-20 नवम्बर, 2015 के दौरान बाली, इंडोनेशिया में आयोजित एशियन क्रेडिट सप्लिमेंटेशन इंस्टीट्यूशन फेडरेशन (एसीएसआईसी) के 28वें सम्मलेन में सीजीटीएमएसई के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने भाग लिया। इस सम्मलेन का विषय "मेजरिंग साउंडनेस एंड की परफॉरमेंस इंडिकेटर ऑफ़ गारंटी



मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीजीटीएमएसई – 28वें एसीएसआईसी, बाली, इंडोनेशिया



कारपोरेशन"। 12 देशों के 16 गारंटी संस्थानों से आए 130 प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभागिता की। सीजीटीएमएसई के अध्यक्ष ने सम्मलेन के मुख्य विषय पर केन्द्रीय "सीजीटीएमएसई एक्सपीरियंस इन इंडिया" पर केस स्टडी का प्रस्तुतीकरण किया।

6.2 नेपाल और ईजिप्ट की ऋण गारंटी संस्थाओं के प्रतिनिधिमंडल ने सीजीटीएमएसई का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल के समक्ष ट्रस्ट की ऋण गारंटी योजना पर प्रस्तुतीकरण दिया गया और योजना को संपोषित करने के लिए ट्रस्ट द्वारा उठाए गए कदमों से उन्हें अवगत कराया गया। इस अवसर पर सीजीटीएमएसई के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को इन देशों के ऋण गारंटी संस्थाओं के साथ सशुल्क साझा करने की संभावनाओं की खोज की गई।



ईजिप्ट की ऋण गारंटी संस्थाओं के प्रतिनिधिमंडल

6.3 इस वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीजीटीएमएसई की कार्य पद्धति पर एक अध्ययन किया। भारतीय रिज़र्व बैंक के इस अध्ययन की रिपोर्ट को एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने सीजीटीएमएसई को उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेषित किया। भारत के सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र के विकास में सीजीटीएमएसई की ऋण गारंटी योजना के प्रभाव की प्रशंसा करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने ट्रस्ट की दीर्घ अवधि संपोषणीयता में वृद्धि करने के उपाय सुझाए। ये सुझाव मुख्यतः नियामक ढांचे के सृजन, प्रक्रिया सुधार, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, निधि स्रोतों को व्यापक बनाने और ट्रस्ट की दीर्घ अवधि संपोषणीयता के लिए जोखिम न्यूनीकरण के उपायों आदि पर केन्द्रीय थे ताकि प्रक्रिया में सुधार हो और योजना की पहुँच व प्रसार क्षेत्र में विस्तार हो सके। सीजीटीएमएसई ने भारत सरकार को अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित की। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जोखिम न्यूनीकरण का विकास, प्रक्रिया सुधार के संबंध में दिए गए सुझावों पर ट्रस्ट द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है।

## 7. संपोषणीय ऋण गारंटी मॉडल का विकास करने हेतु किए गए प्रयास

7.1 ट्रस्ट का ध्येय है कि उसकी ऋण गारंटी योजना दीर्घ अवधि तक एक संपोषणीय उत्पाद बने। इस दिशा में ट्रस्ट ने निम्नलिखित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय किए हैं।

7.1.1 50 लाख से अधिक की सभी ऋण सुविधाओं के लिए सदस्य ऋणदाता संस्था की जोखिम सहभागिता में वृद्धि कर गारंटी को 50% तक सीमित किया गया है।

7.1.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सीजीटीएमएसई का सदस्य ऋणदाता संस्थान बनाने वाले पंजीकरण मानदंडों को अधिक चयनशील कर दिया गया है।

7.1.3 ट्रस्ट का कीमत ढांचा विगत 15 वर्षों से एक समान है। तथापि, सदस्य ऋणदाता संस्थाओं के द्वारा सीजीटीएमएसई पोर्टल पर एनपीए रिपोर्टिंग में हुई तीव्र वृद्धि के दृष्टिगत ट्रस्ट द्वारा विभेदक कीमत प्रणाली की शुरुआत की गई है जिसमें सदस्य ऋणदाता संस्था द्वारा सीजीटीएमएसई के पास दर्ज एनपीए की प्रतिशतता और दावा भुगतान अनुपात को ध्यान में रखा गया है।

7.1.4 ट्रस्ट द्वारा देश के चार मेट्रो शहरों में तैनात प्रतिनिधियों के माध्यम से निरीक्षण, दावा निपटन के पश्चात् निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ट्रस्ट द्वारा दावा निपटान पश्चात् वसूली राशि वर्ष 2015 में ₹ 31 करोड़ से बढ़ कर वर्तमान वित्त वर्ष में ₹ 58 करोड़ हो गई है।

## 8 योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना

8.1 ट्रस्ट ने उसके सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा आयोजित अनेक संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में प्रतिभागिता की है। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित एमएसएमई अधिकार प्राप्त समिति/टाउन हॉल में भाग लिया है जिसका उद्देश्य सीजीटीएमएसई की नवीनतम कार्यप्रणाली, दिशानिर्देशों के संबंध में जानकारी प्रदान करना है।



सिडबी और एसएलबीसी द्वारा आयोजित कार्यशाला, जयपुर

8.2 सीजीटीएमएसई द्वारा सिटी भुवनेश्वर (सिडबी प्रशिक्षण संस्थान) के सहयोग से बैंकों के परिचालक अधिकारियों के लिए सकेंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों को नियमित अंतरालों पर आयोजित किए जाने के लिए प्रयासरत हैं।



सीजीटीएमएसई द्वारा सिडबी सिटी भुवनेश्वर सकेंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.3 ट्रस्ट ने अपने सभी सदस्य ऋणदाता संस्थाओं, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट और इंडियन बैंक एसोसिएशन को सूचित किया है कि जब कभी उनके प्रशिक्षण केन्द्रों में एमएसएमई



पर केन्द्रित प्रशिक्षण किए जाएँ उनमें नियमित रूप से सीजीटीएमएसई पर एक सत्र रखा जाए। सीजीटीएमएसई द्वारा इनमें संकाय सहायता प्रदान की जाएगी। ज्ञान के इस आदान-प्रदान द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों के अधिकारियों को पर्याप्त जानकारी मिलेगी।

8.4 ट्रस्ट द्वारा अपनी योजना पर आधारित एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विस्तृत परिचालन प्रक्रिया और सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न दिए गए हैं। इस पुस्तिका को सभी सदस्य ऋणदाता संस्थाओं को प्रेषित किया गया है और इसे सीजीटीएमएसई की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है।

## 9. सीजीटीएमएसई द्वारा उठाए गए अन्य कदम

### 9.1 टोल फ्री नंबर की शुरुआत

इस वर्ष के दौरान ट्रस्ट द्वारा अपना टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है इससे सदस्य ऋणदाता संस्थान ट्रस्ट के साथ शीघ्र संपर्क कर सकेंगे। इस पहल को सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा काफी पसंद किया गया है और इससे ट्रस्ट को संस्थाओं के प्रश्नों के समाधान में मदद मिली है।

### 9.2 अयांत्रिक प्रक्रियाओं की समाप्ति

कतिपय वर्तमान अयांत्रिक प्रक्रियाओं को सॉफ्टवेयर में सुधार करते हुए समाप्त कर दिया गया है ताकि सदस्य ऋणदाता संस्थाओं को दी जाने वाली सेवा में सुधार किया जा सके व अनावश्यक पत्राचार, कागजों के प्रवाह में कमी हो सके। इन प्रक्रियाओं में एनपीए का उन्नयन, सीजीटीएमएसई द्वारा दावे के निपटान के पश्चात सदस्य ऋणदाता संस्था द्वारा की गई वसूली का प्रेषण सम्मिलित है। सदस्य ऋणदाता संस्थाओं ने इन पहलों की सराहना की है। वर्तमान में अयांत्रिक रूप से निपटाए जाने वाली कुछ प्रक्रियाएं सॉफ्टवेयर विकास के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2017 के शुरुआत तक कार्यान्वित कर दी जाएगी।

## 10. ऋण गारंटी योजना का समेकित प्रभाव

अर्थव्यवस्था पर सीजीटीएमएसई के परिचालनों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्रेडिट गारंटी प्रदत्त सूक्ष्म और लघु उद्यमों का बिक्री आवर्त, निर्यात और प्रदत्त रोजगार की स्थिति सारिणी में दर्शाई गई है।

## 11. लेखापरीक्षक

11.1 सनदी लेखाकारों की फर्म - मे. एम.पी. चितले एंड कंपनी, मुम्बई को वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु सीजीटीएमएसई का आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया। उक्त लेखापरीक्षकों ने सम्पूर्ण कंप्यूटर प्रणाली की व्यापक समीक्षा की और राजस्व व्यय, निवेश और राजस्व आय को कवर करते हुए वित्तीय लेखा परीक्षा की।

11.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुशंसा के अनुरूप निदेशक मंडल ने सनदी लेखाकारों की फर्म - मे. के.एस. संघवी एंड कंपनी, मुम्बई को वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु सीजीटीएमएसई का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया।

## 12. लेखा

12.1 ट्रस्ट ने ₹ 1036 करोड़ की आय अर्जित की, जिसमें मुख्य रूप से गारंटी शुल्क (₹ 159.67 करोड़), वार्षिक गारंटी और सेवा शुल्क (₹ 379.70 करोड़), निवेशों पर अर्जित ब्याज (₹ 439 करोड़) और सदस्य ऋणदाता संस्थाओं से हुई वसूली (₹ 58 करोड़) शामिल है। ट्रस्ट ने विभिन्न परिचालनगत तथा प्रशासनिक व्ययों के प्रति ₹ 7 करोड़ (विगत वर्ष में हुए व्यय के समान ₹ 7 करोड़) की राशि व्यय की। वार्षिक प्रावधान वित्तीय वर्ष 2009 से ट्रस्ट की देयताओं के बीमांकक मूल्यांकनों के आधार पर किए जा रहे हैं। दावों के प्रावधान का मूल्यांकन बीमांकक द्वारा प्राप्त दावों और जारी की गई गारंटियों के बीच रिग्रेसन समीकरण विकसित कर किया गया है। इससे पहले प्रावधान सीजीटीएमएसई के न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति पर आधारित होते थे। वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्रावधानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

विवरण	धनराशि (₹ करोड़)
यथा 01 अप्रैल 2015 को अथशेष	1718.62
घटाइए : वर्ष के दौरान अदा किए गए दावें	1004.73
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1020.73
यथा 31 मार्च 2016 को इतिशेष	1734.62

यथा 31 मार्च, 2016 को संचयी प्रावधान अनुमानित रूप से ₹ 1734.62 करोड़ है। बीमांकक के मूल्यांकन के अनुसार दावों के प्रावधान के पश्चात आय से व्यय ₹ 24 करोड़ (टैक्स अदायगी से पूर्व)

	यथा 31.03.2016	यथा 31.03.2015
अनुमोदित संचित गारंटी	23,23,673	18,17,245
ऋण की धनराशि (एमएलआई द्वारा प्रदत्त) (₹ करोड़)	1,08,991	90,446
गारंटीशुदा इकाइयों का अनुमानित टर्नओवर (₹ करोड़)	8,67,019	6,68,643
गारंटीशुदा इकाइयों द्वारा अनुमानित निर्यात (₹ करोड़)	7,291	6,769
अनुमानित रोजगार सृजन (संख्या लाख में)	77.22	75.97
सदस्य ऋणदात्री संस्थानों की संख्या	127@	133

@ संख्या में कमी ग्रामीण बैंकों — एमएलआई के समामेलन के कारण हुई है। रिपोर्ट के पैरा 2 में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। कृपया नोट करें : मध्यवर्ती रद्दीकरणों/संशोधनों के कारण वास्तविक आँकड़े भिन्न हो सकते हैं।



अधिक था।

12.2 वर्ष के दौरान, ट्रस्ट ने अपने संस्थापकों से ₹ 42.48 करोड़ का समूह निधि अंशदान प्राप्त किया। यह राशि, पूर्व में प्राप्त समूह निधि अंशदान और ट्रस्ट द्वारा अब तक अर्जित की गई निवल आय के साथ बैंकों/संस्थाओं की सावधि जमाओं में निवेश कर दी गई है। समूह निधि का आकार 31 मार्च, 2016 को ₹ 2,431.53 करोड़ था। 31 मार्च, 2016 को कुल निधि ₹ 4328.30 करोड़ (उपचित ब्याज घटाकर) थी, जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह ₹ 4529.08 करोड़ थी। 31 मार्च, 2016 को वापसी योग्य समूह निधि उपचित ब्याज घटक को जोड़ने के पश्चात ₹ 4811 करोड़ थी। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान संचयी रूप से जारी गारंटियों की राशि ₹ 99,403 करोड़ थी।

### 13. प्रबंध और संगठन

13.1 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान न्यासी मंडल में सिडबी के

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पदेन अध्यक्ष के रूप में, अपर सचिव तथा विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार पदेन उपाध्यक्ष के रूप में, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष पदेन सदस्य के रूप में तथा सीजीटीएमएसई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में शामिल थे। तथा 31 मार्च, 2016 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित 6 अधिकारी सिडबी से सीजीटीएमएसई में प्रतिनियुक्ति पर थे।

13.2 सीजीटीएमएसई का न्यासी मंडल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) का कार्यालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, सिडबी, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंक संघ, सीजीटीएमएसई के सदस्य ऋणदाता संस्थान, विश्व बैंक, विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योग संघों से प्राप्त सहयोग की सहायता करता है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

न्यासी बोर्ड के लिए तथा की ओर से

स्थान : मुंबई  
दिनांक : अगस्त 25, 2016

ह/—  
(डॉ. क्षत्रपति शिवाजी)  
अध्यक्ष



## अनुलग्नक - I

# सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं 31 मार्च 2016 की स्थिति सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की कुल संख्या - 127

### (क) अनुसूचित वाणिज्य बैंक

#### (i) सरकारी क्षेत्र के बैंक (21)

- 1 इलाहाबाद बैंक
- 2 आन्ध्रा बैंक
- 3 बैंक ऑफ बड़ौदा
- 4 बैंक ऑफ इंडिया
- 5 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- 6 भारतीय महिला बैंक
- 7 केनरा बैंक
- 8 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- 9 कार्पोरेशन बैंक
- 10 देना बैंक
- 11 आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
- 12 इंडियन बैंक
- 13 इंडियन ओवरसीज बैंक
- 14 ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स
- 15 पंजाब एन्ड सिन्ध बैंक
- 16 पंजाब नेशनल बैंक
- 17 सिंडिकेट बैंक
- 18 यूको बैंक
- 19 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- 20 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
- 21 विजया बैंक

#### (iii) निजी क्षेत्र के बैंक (21)

- 1 एक्सिस बैंक लिमिटेड
- 2 कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड
- 3 सिटी यूनियन बैंक
- 4 डेवलपमेन्ट क्रेडिट बैंक लिमिटेड
- 5 एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
- 6 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
- 7 आईडीएफसी बैंक लिमिटेड
- 8 इंडसइंड बैंक लिमिटेड
- 9 आईएनजी वैश्य बैंक
- 10 कर्नाटक बैंक लिमिटेड
- 11 कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड
- 12 लक्ष्मी विलास बैंक
- 13 तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड
- 14 दि धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
- 15 दि फेडरल बैंक लिमिटेड
- 16 दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
- 17 दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
- 18 दि नैनीताल बैंक लिमिटेड
- 19 दि रत्नाकर बैंक लिमिटेड
- 20 दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
- 21 यस बैंक लिमिटेड

#### (ii) स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक (6)

- 1 भारतीय स्टेट बैंक
- 2 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
- 3 स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
- 4 स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
- 5 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
- 6 स्टेट बैंक ऑफ द्रावणकोर

#### (iv) विदेशी बैंक (4)

- 1 बर्कलेज बैंक पीएलसी
- 2 बैंक ऑफ बहरीन एन्ड कुवैत
- 3 डॉयच बैंक
- 4 स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक



### (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (66)

1	इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक	34	नैनीताल — अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	35	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
3	आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक	36	नीलांचल ग्राम्य बैंक
4	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	37	पल्लवन ग्रामीण बैंक
5	असम ग्रामीण विकास बैंक	38	पांड्यन ग्राम बैंक
6	बैतरणी ग्राम्य बैंक	39	पर्वतीय ग्रामीण बैंक
7	बलिया इटावा ग्रामीण बैंक	40	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक
8	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक	41	प्रथमा बैंक
9	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	42	पुडुवई भरथियार ग्रामीण बैंक
10	बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	43	पंजाब ग्रामीण बैंक
11	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	44	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक
12	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	45	राजस्थान ग्रामीण बैंक
13	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	46	रेवा सिद्धि ग्रामीण बैंक
14	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	47	ऋषिकुल्य ग्रामीण बैंक
15	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	48	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
16	हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	49	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक
17	हिमाचल ग्रामीण बैंक	50	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक
18	जयपुर थार ग्रामीण बैंक	51	सर्व यूपी ग्रामीण बैंक
19	झारखंड ग्रामीण बैंक	52	सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
20	जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक	53	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
21	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	54	शारदा ग्रामीण बैंक
22	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक	55	श्रेयस ग्रामीण बैंक
23	कावेरी ग्रामीण बैंक	56	सतलुज ग्रामीण बैंक
24	केरल ग्रामीण बैंक	57	तेलंगाना ग्रामीण बैंक
25	लंग्पी देहांगी ग्रामीण बैंक	58	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
26	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	59	त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
27	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	60	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
28	महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बैंक	61	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक
29	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	62	उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
30	मालवा ग्रामीण बैंक	63	वनांचल ग्रामीण बैंक
31	मेघालय ग्रामीण बैंक	64	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
32	एमजीबी ग्रामीण बैंक	65	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
33	मिजोरम ग्रामीण बैंक	66	वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक

### (ग) ऋणदात्री संस्थाएं (9)

1	आंध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम	6	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड
2	दिल्ली वित्त निगम	7	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
3	जम्मू एंड कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	8	दि तमिलनाडु उद्योग निवेश निगम लिमिटेड
4	केरल वित्त निगम	9	भारतीय निर्यात आयात बैंक
5	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड		

नोट : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार वित्त वर्ष 2012-13 के विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सम्मेलन के परिणामस्वरूप वर्तमान वित्त वर्ष की समाप्ति तक सीजीटीएमएसई से गारंटी कवर प्राप्त करने वाली क्षेत्रीय बैंकों की संख्या 73 से घटकर 66 हो गई है।



## अनुलग्नक - II

### सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान सदस्य ऋणदात्री संस्था-वार अनुमोदित गारंटियां तथा यथा 31 मार्च 2016 तक का संचयी

क्र. सं.	सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं	वित्तीय वर्ष 2016		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
1	इलाहाबाद बैंक	14241	57425.23	75125	307789.61
2	इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक	-	-	2759	5839.51
3	आंध्रा बैंक	10414	20159.56	23427	74031.10
4	आंध्रा प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	1608	867.39	4388	2569.24
5	आंध्रा प्रदेश राज्य वित्त निगम	15	571.10	67	2330.82
6	आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक	3402	2670.53	6577	4752.92
7	आर्यवत ग्रामीण बैंक	21	68.02	2191	8918.39
8	असम ग्रामीण विकास बैंक	-	-	8483	20324.90
9	एक्सिस बैंक लि.	409	16829.22	1854	69082.84
10	बैतरणी ग्राम्य बैंक	-	-	2097	7200.06
11	बलिया इटावा ग्रामीण बैंक	-	-	430	117.31
12	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक	5	5.85	2722	8661.09
13	बैंक ऑफ बडौदा	25765	127451.09	79661	568806.83
14	बैंक ऑफ इंडिया	70417	288403.37	269603	1573802.12
15	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	4260	20445.31	19155	140153.94
16	बडौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	-	-	132	866.10
17	बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	1	2.85	46	376.40
18	बडौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	253	683.63	3597	9841.14
19	भारतीय महिला बैंक	497	3108.03	738	4646.36
20	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	-	845	2906.28
21	केनरा बैंक	97950	287607.33	325250	1014626.66
22	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	6910	34399.70	66710	398418.02
23	चेतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	3	31.80	69	92.78
24	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	1234	366.58	5438	3896.12
25	सिटी यूनियन बैंक	118	1237.09	1314	12563.38
26	कोरपोरेशन बैंक	13222	49238.84	43481	262662.70
27	दिल्ली वित्तीय निगम	-	-	634	1455.03
28	देना बैंक	5066	20156.47	21089	107596.56
29	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	30	75.58	202	523.86
30	डॉयच बैंक	1404	41559.64	5195	158719.64
31	दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक	260	72.20	-	-
32	भारतीय आयत निर्यात बैंक	3	135.00	15	563.00
33	हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	-	44	180.60
34	एचडीएफसी बैंक लि.	1553	48253.35	4110	117260.45
35	हिमाचल ग्रामीण बैंक	-	-	631	6172.52
36	आईसीआईसीआई बैंक	47	1440.09	851	5496.14
37	आईडीबीआई बैंक लि.	-	-	2827	55339.05
38	इंडियन बैंक	13257	35381.60	31704	92223.47



क्र. सं.	सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं	वित्तीय वर्ष 2016		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
39	इंडियन ओवरसिज बैंक	17480	73994.27	122129	562579.27
40	इंडसइंड बैंक	-	-	4	60.88
41	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	4	300.00	105	3084.78
42	जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक	5	22.17	20	109.28
43	जयपुर थार ग्रामीण बैंक	-	-	1116	292.67
44	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लि.	2	45.00	2	45.00
45	झारखंड ग्रामीण बैंक	-	-	404	1857.09
46	कर्नाटक बैंक लि.	4454	25088.80	21154	107940.24
47	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	350	1086.76	13446	27483.51
48	काशी गोमती समयुत ग्रामीण बैंक	-	-	2809	6108.13
49	कावेरी ग्रामीण बैंक	125	384.88	255	817.56
50	केरल वित्त निगम	-	-	266	2508.06
51	केरल ग्रामीण बैंक	791	625.40	18781	28783.09
52	कोटक महिंद्रा बैंक	26	1303.50	137	5103.77
53	लक्ष्मी विलास बैंक	130	2233.54	193	2888.96
54	लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक	-	-	538	1212.19
55	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	-	-	49	73.77
56	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	-	-	855	3176.56
57	एमजीबी ग्रामीण बैंक	-	-	93	158.02
58	मिजोरम ग्रामीण बैंक	-	-	423	1452.93
59	नैनीताल-अलमोरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	-	11	66.26
60	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक	-	-	91	240.40
61	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	-	-	176	1458.57
62	नीलाचल ग्राम्य बैंक	-	-	5633	18921.19
63	उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम लि.	-	-	14	240.50
64	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	5593	34573.34	24476	217111.93
65	पलवन ग्राम बैंक	379	181.44	581	237.28
66	पांड्यन ग्राम बैंक	887	1114.70	2642	3290.92
67	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	-	-	332	1814.16
68	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक	2456	2012.42	2716	2220.73
69	प्रथमा बैंक	-	-	3609	10474.68
70	पंजाब एंड सिंध बैंक	7206	11764.43	12889	40408.26
71	पंजाब नेशनल बैंक	48037	141619.15	186613	818756.75
72	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	-	-	14966	23702.35
73	राजस्थान ग्रामीण बैंक	-	-	136	517.01
74	ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक	-	-	9	41.86
75	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	-	309	964.07
76	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	257	477.31	1424	2793.16
77	सर्व यूपी ग्रामीण बैंक	859	570.15	3644	3575.05
78	सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	-	433	833.48
79	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	4	29.00	187	1311.52

क्र. सं.	सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं	वित्तीय वर्ष 2016		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
80	शारदा ग्रामीण बैंक	-	-	64	216.71
81	श्रेयस ग्रामीण बैंक	-	-	157	286.20
82	भारतीय सूक्ष्म उद्योग विकास बैंक	96	4623.49	5643	127476.74
83	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	179	6340.16	1365	33900.40
84	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर	4297	23018.28	24278	84661.04
85	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	5208	21499.14	16559	73703.56
86	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	42724	208400.17	369790	1778298.58
87	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2727	19196.03	16859	110534.58
88	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3484	19671.50	19327	131713.35
89	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	6451	25846.94	30580	122842.11
90	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	455	120.91	-	-
91	सतलुज ग्रामीण बैंक	61	19.19	74	26.19
92	सिंडीकेट बैंक	33473	155412.98	90147	438247.36
93	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	462	2434.38	1376	12605.55
94	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	131	161.40	199	406.97
95	दि बैंक ऑफ राजस्थान लि.	-	-	45	10.81
96	दि धनलक्ष्मी बैंक लि.	29	267.84	92	1812.08
97	दि फेडरल बैंक लि.	-	-	5109	26686.04
98	दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	6738	9600.59	42244	54323.41
99	दि करूर वैश्य बैंक लि.	31	809.07	185	3510.07
100	दि नैनीताल बैंक लि.	75	204.90	477	4052.79
101	दि साउथ इंडियन बैंक लि.	109	1012.92	296	2454.45
102	दि तमिलनाडु उद्योग निवेश निगम लि.	-	-	2717	5000.64
103	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	-	-	489	1149.74
104	त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	-	4	45.35
105	यूको बैंक	10029	26969.55	63751	261769.41
106	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	31330	78040.16	108202	326614.51
107	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	-	-	44853	192961.86
108	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	637	1443.19	1119	2630.02
109	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	-	-	588	2788.01
110	उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	-	1055	1470.95
111	वनांचल ग्रामीण बैंक	-	-	2642	7094.69
112	वीदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	-	-	275	610.75
113	विजया बैंक	3838	33513.03	15358	126556.24
114	वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक	-	-	545	3581.13
115	यस बैंक लि.	4	260.00	78	3520.50
<b>कुल</b>		<b>513978</b>	<b>1994938.53</b>	<b>2323673</b>	<b>10899085.62</b>

विशेष : अन्तर्वर्ती निरस्तीकरणों/संशोधनों के कारण वास्तविक आंकड़ों में अंतर हो सकते हैं।



## अनुलग्नक - III

# सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान राज्य-वार अनुमोदित गारंटियां तथा यथा 31 मार्च 2016 तक का संचयी

क्र. सं.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम	वित्तीय वर्ष 2016		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
1	अंडमान और निकोबार	385	1874.41	1828	9137.85
2	आन्ध्र प्रदेश	18627	39291.51	75186	206506.49
3	अरुणाचल प्रदेश	1482	5769.65	5937	27553.05
4	असम	13543	37875.25	81822	271859.28
5	बिहार	19878	87710.09	119129	500767.68
6	चंडीगढ़	1246	4500.48	5036	32027.95
7	छत्तीसगढ़	9468	28249.71	31894	166893.69
8	दादरा और नगर हवेली	100	2370.24	427	10073.93
9	दमन और दीव	76	2517.82	366	9073.38
10	दिल्ली	10899	62316.42	26989	281193.51
11	गोवा	2736	12553.56	14833	90877.52
12	गुजरात	18636	121052.12	91977	766184.64
13	हरियाणा	7896	40010.47	29941	217156.10
14	हिमाचल प्रदेश	7533	29140.09	42135	228562.40
15	जम्मू और कश्मीर	10005	24237.84	58810	124679.83
16	झारखंड	18935	89855.68	92606	538374.65
17	कर्नाटक	48731	234510.86	201792	1014726.58
18	केरल	47120	93279.02	216706	522204.52
19	लक्षद्वीप	88	266.51	296	803.42
20	मध्य प्रदेश	22150	101546.21	79831	415358.02
21	महाराष्ट्र	49279	255116.71	71446	1231189.44
22	मणिपुर	849	2762.34	5436	16845.79
23	मेघालय	976	3136.02	6915	31177.94
24	मिजोरम	569	1482.12	3357	12592.31
25	नागालैन्ड	1765	4114.69	5203	17540.71
26	ओडिशा	19060	71016.57	110418	453109.45
27	पुडुचेरी	1261	2586.61	3775	13410.58
28	पंजाब	15016	48574.64	50090	283042.11
29	राजस्थान	14796	58028.61	75549	364054.75
30	सिक्किम	335	1587.85	1797	7358.96
31	तमिलनाडु	56472	178490.89	228680	892498.40
32	तेलंगाना	14636	57896.97	43642	238391.53
33	त्रिपुरा	1512	3842.07	9433	32082.39
34	उत्तर प्रदेश	52739	181552.29	259524	1073688.96
35	उत्तराखंड	7387	27718.70	30150	151100.84
36	पश्चिम बंगाल	17792	78103.54	140717	646986.97
	<b>कुल</b>	<b>513978</b>	<b>1994938.53</b>	<b>2323673</b>	<b>10899085.62</b>

विशेष : अन्तर्वर्ती निरस्तीकरणों/संशोधनों के कारण वास्तविक आंकड़ों में अंतर हो सकते हैं।

## अनुलग्नक - IV

# सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान क्षेत्र-वार अनुमोदित गारंटियां तथा यथा 31 मार्च 2016 तक का संचयी

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2016		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
1	विनिर्माण लघु उद्योग	129154	749443.60	759245	4933566.95
2	अकृत	424	7942.99	92152	303675.75
3	विनिर्माण	1	19.60	7	86.15
4	काफी, चाय, जोड़ और मसाले	553	888.19	553	888.19
5	मछली और कड़े खोल वाले जीव, सीप और अन्य जलीय बिना रीढ़ वाले जीव	52	184.27	52	184.27
6	रेल और ट्राम चल स्टॉक से इतर वाहन और उनके पुर्जे व सहायक उत्पाद	8015	44776.64	8015	44776.64
7	सब्जी, फल, मेवे और पौधों के अन्य भागों के व्यंजन	128	439.82	128	439.82
8	खाद्य उद्योग के अवशिष्ट और कूड़े से बनाया जाने वाला जानवरों का चारा	10	200.10	10	200.10
9	गलीचा और अन्य वस्त्र आवरण	150	327.87	150	327.87
10	चक्की उद्योग के उत्पाद जौ का सत्व गेहूं की लस	98	346.94	98	346.94
11	औजार, उपकरण, छुरी-काँटा, चमचे और कांटे हीन धातु के पुर्जे और जो हीन धातु से बने हो	79	551.32	79	551.32
12	खाद	33	280.28	33	280.28
13	एलुमिनियम और उसकी वस्तुएं	86	813.48	86	813.48
14	नमक गंधक लवण और पत्थर को प्लास्टर करने वाली सामग्री चूना और सीमेंट	43	429.95	43	429.95
15	रेशम	300	260.73	300	260.73
16	जीवंत वृक्ष और अन्य पौधों के कंद और कटे हुए फूलों के प्रकार और सजावटी पत्तियाँ	43	97.29	43	97.29
17	फीके पदार्थ आशोधित स्टार्च सरस किण्वक	1	4.00	1	4.00
18	तैयार पंख और रोवां और पंख से बनी वस्तुएं या रोवों से बने कृत्रिम फूल, मानव बाल की वस्तुएं	26	25.10	26	25.10
19	जस्ता और उसकी वस्तुएं	2	8.80	2	8.80
20	दीवार घड़ी और कलाई घड़ी और उसके पुर्जे	11	14.45	11	14.45
21	एस एस एस बी ई	357892	1113867.25	1437586	5472159.06
22	फुटकर विनिर्मित वस्तुएं	675	3689.30	675	3689.30
23	कागज और कागज की लुगदी से बने गत्ते की वस्तुएं, कागज की या गत्ते की	247	1567.02	247	1567.02



क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2016		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
24	कलात्मक वस्तुएं, पुरातन संग्रहनीय वस्तुएं	88	185.01	88	185.01
25	जानवर या सब्जी की चर्बी और तेल और उसके विदलित उत्पाद तैयार खाद्य चर्बी जानवर और सब्जी से बने मोम	24	191.61	24	191.61
26	पदत्राण, पैर ढकने वाली पट्टी और उस तरह की वस्तुएं	243	1249.24	243	1249.24
27	ताम्बा और उसकी वस्तुएं	23	225.63	23	225.63
28	सीसा और उसकी वस्तुएं	3	73.00	3	73.00
29	दृष्टि संबंधी, फोटोग्राफिक, सिनेमैटोग्राफिक, नापने, जांचने, निवारक, चिकित्सा, शस्त्र, उपस्कर, पुर्जे और सहायक सामग्री	319	1719.11	319	1719.11
30	वस्त्र की बनी अन्य वस्तु जोड़े, वस्त्र के टुकड़े और जीर्ण वस्त्र की वस्तुएं व टुकड़े	332	1148.60	332	1148.60
31	पशु स्रोत के उत्पादन, जो अन्यत्र उल्लिखित या सम्मिलित नहीं है	13	98.20	13	98.20
32	औषधीय उत्पाद	93	1147.92	93	1147.92
33	तरकारी गूंधन सामग्री तरकारी उत्पाद जो अन्यत्र उल्लिखित या सम्मिलित नहीं है	26	76.43	26	76.43
34	कॉटन	208	551.56	208	551.56
35	अन्य बेस धातुएं सेरमेट व उसके उत्पाद	42	253.47	42	253.47
36	अयस्क, धातु की तलछट और भस्म	6	62.54	6	62.54
37	चमड़े का साजो-सामान, यात्रा के सामान, हैण्ड बैग और इसी प्रकार की जानवर के आंत से बनी सामान रखने वाली वस्तुएं जो रेशमी ना हो	71	594.63	71	594.63
38	मांस, मछली या कड़े खोल वाले जीव, सीप या अन्य जलीय बिना रीढ़ वाले जीवों से बनने वाले व्यंजन	19	18.97	19	18.97
39	रेल या ट्राम लोकोमोटिव, चल स्टॉक, ट्राम पटरी के जोड़, फिटिंग और पुर्जे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रो मैकेनिकल, ट्राफिक सूचक उपकरण	8	248.65	8	248.65
40	अनाज	140	1099.02	140	1099.02
41	विशेष बुने हुए वस्त्र कलगीदार वस्त्र, गोटा, टेपेस्ट्री, झालर, कढ़ाई	381	1115.28	381	1115.28
42	मृत्तिका उत्पाद	104	614.58	104	614.58
43	पेय, मदिरा और सिरका	112	803.48	112	803.48
44	मांस और खाद्य मांस कूड़ा	86	160.36	86	160.36
45	जहाज, नाव और तैरने वाली संरचनाएं	11	37.50	11	37.50

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2016		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
46	कच्चा चमड़ा और खाल, रोएंदार चर्म और चमड़े के अतिरिक्त	7	162.90	7	162.90
47	विस्फोटक, आतिशबाजी उत्पाद माचिस पायरोफोरिक मिश्र धातु कतिपय दहनशील मिश्रण	6	13.43	6	13.43
48	छाते, धुप के छाते, सहारे की छड़ी, सीट छड़ी, चाबुक, घुड़सवारी का चाबुक और उसके पुर्जे	4	5.66	4	5.66
49	परियोजना आयत प्रयोगशाला रसायन यात्रियों के बैगेज विमान पोस्ट या जहाज द्वारा व्यक्तिगत आयात	13	141.06	13	141.06
50	सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर	1749	13079.30	9925	79011.91
51	लोहा और इस्पात	315	1854.73	315	1854.73
52	फुटकर खाद्य व्यंजन	1976	4085.91	1976	4085.91
53	कोर्क और कोर्क की वस्तुएं	2	40.00	2	40.00
54	अनाज, आटे, मैदे, दूध पेस्ट्री उत्पाद	513	1730.59	513	1730.59
55	लोहे और इस्पात की वस्तुएं	655	3439.26	655	3439.26
56	खनिज ईंधन, तेल और बिटुमिनस पदार्थ खनिज मोम के शुद्धीकरण के उत्पाद	20	279.89	20	279.89
57	फोटोग्राफिक और सिनेमैटोग्राफिक वस्तुएं	301	684.68	301	684.68
58	साबुन, ओर्गानिक सरफेस एक्टिव एजेंट, धुलाई सामग्री, चिकनाने की सामग्री, कृत्रिम	194	471.82	194	471.82
59	बेस मेटल से बनी फुटकर वस्तुएं	123	701.74	123	701.74
60	चर्म शोधन या रंगाई निचोड़ टैनिन और उनके डेरीवेटिव डाई, पिगमेंट, रंगाई पदार्थ, पेंट, वार्निश, पुट्टी अन्य मैस्टिक स्याही	59	449.60	59	449.60
61	कांच और कांच के सामान	67	236.62	67	236.62
62	जीवित जानवर	29	63.52	29	63.52
63	रोएंदार चर्म और संबंधित कृत्रिम रोएँ निर्माण	2	2.85	2	2.85
64	खाद्य तरकारीयां और कुछ कंद मूल	79	68.03	79	68.03
65	वायुयान, अंतरिक्ष यान और उसके पुर्जे	3	17.60	3	17.60
66	अस्त्र शस्त्र उसके पुर्जे और सहायक सामग्री	3	17.75	3	17.75
67	कोको और कोको व्यंजन	6	38.90	6	38.90
68	लकड़ी और लकड़ी की वस्तुएं काठकोयला	634	1989.65	634	1989.65
69	फर्नीचर, चारपाई, गद्दे, गद्दे के साजोसामान, कुशन, और उसी प्रकार भरे हुए सामान, लैप, लाइटिंग, फिटिंग, प्रीफैब्रिकेटेड बिल्डिंग	559	2171.49	559	2171.49



क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2016		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
70	परिधान की वस्तुएं और लिबास की सहायक सामग्री, बुने हुए क्रोशिए से कढ़ाई किए हुए	1384	2758.69	1384	2758.69
71	विद्युतीय मशीनरी और उपकरण, साउंड रेकॉर्डर, रिप्रोड्यूसर, टेलीविजन इमेज, साउंड रेकॉर्डर, रिप्रोड्यूसर, पुर्जे	795	2365.73	795	2365.73
72	बुने हुए क्रोशिए से कढ़ाई किए हुए वस्त्र	315	878.18	315	878.18
73	लकड़ी की लुगदी या अन्य फाईबरस सेल्युलॉसिक मटेरियल रिकवर्ड वेस्ट और कागज की रद्दी या पेपरबोर्ड	18	199.07	18	199.07
74	शक्कर और शक्कर की मिठाइयां	116	376.29	116	376.29
75	एसेंशियल ऑयल्स एंड रेसिनोइड्स पर्फ्युमरी कॉस्मेटिक्स या टॉयलेट प्रीपरेशन	136	426.83	136	426.83
76	कृत्रिम रेशें	19	61.30	19	61.30
77	कृत्रिम फिलामेंट	16	248.17	16	248.17
78	तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू के स्थानापन्न	296	143.70	296	143.70
79	संगीत वाद्य के पुर्जे और सहायक सामग्री या ऐसी वस्तुएं	71	144.11	71	144.11
80	खाद्य फल और मेवे, निम्बूवंश के फल या खरबूजों के छिलके	100	480.66	100	480.66
81	अन्य तरकारी वस्त्र रेशे कागजी सूत और कागज सूत के बुने हुए वस्त्र	112	175.32	112	175.32
82	पीने की नली का निर्माण, इस्परटो या अन्य गूथने वाले पदार्थ से टोकरी और खपच्ची कार्य	55	100.14	55	100.14
83	अजैव रसायन बहुमूल्य धातुओं के जैव या अजैव यौगिक पदार्थ, दुर्लभ भू धातु, रेडीयोधर्मी तत्व या समस्थानिक	6	109.59	6	109.59
84	प्लास्टिक और उसकी वस्तुएं	308	3651.29	308	3651.29
85	परिधान की वस्तुएं और वस्त्र से सम्बद्ध वस्तुएं जो बुनी हुई या क्रोशिए के काम की नहीं हो	654	1262.22	654	1262.22
86	पुस्तकों की छपाई, समाचार पत्र, छपाई उद्योग की पांडुलिपि के अन्य उत्पाद और चित्र, टाइपस्क्रिप्ट और प्लान	644	4037.51	644	4037.51
87	प्राकृतिक और कृत्रिम मोती, बहुमूल्य मध्यम मूल्य के कंकर, बहुमूल्य धातु, धातु जिस पर बहुमूल्य धातु की परत चढ़ी हो, प्रतिरूपी गहने सिक्के	204	455.57	204	455.57
88	टिन और उसकी वस्तुएं	9	102.67	9	102.67
89	फुटकर रासायनिक उत्पाद	57	1027.75	57	1027.75
90	शिरस्त्राण और उसके पुर्जे	3	3.00	3	3.00

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2016		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
91	ऊन, जानवरों के महीन और मोटे बाल, घोड़े के बालों के धागे और बुने हुए कपड़े	120	88.18	120	88.18
92	पत्थर की वस्तुएं, प्लास्टर, सीमेंट, एस्बेस्टस, अभ्रक और सामान पदार्थ	367	2756.90	367	2756.90
93	पक्षियों के अंडे, प्राकृतिक शहद, पशु मूल के खाद्य पदार्थ	39	124.91	39	124.91
94	तिलहन और स्निग्ध फल फुटकर अनाज, बीज और फल औद्योगिक या चिकित्सा पौधे घास और चारा	116	869.98	116	869.98
95	रबर और उसकी वस्तुएं	118	1107.99	118	1107.99
96	खिलौने, क्रीडा और खेलकूद के लिए आवश्यक संबंधित सहायक सामग्री	108	377.46	108	377.46
97	अजैव रसायन	20	111.78	20	111.78
98	अस्तर, ऊनी कपड़ा और बिना बुने हुए धागे डोरा, जहाज के रस्से, रस्से और केबल और उसकी वस्तुएं	16	298.79	16	298.79
99	परमाणु रिएक्टर, बायलर, यन्त्र और यान्त्रिक उपकरण और उसके पुर्जे	43	507.49	43	507.49
100	लाख गोंद, सिरिस, राल और अन्य तरकारी का अर्क और उसका सत्व	7	27.86	7	27.86
101	संसेचित, लेपित, आवृत या परतदार परिधान और औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त कपड़े की वस्तुएं	12	58.71	12	58.71
<b>योग</b>		<b>513978</b>	<b>1994938.53</b>	<b>2323673</b>	<b>10899085.62</b>

नोट : वास्तविक आंकड़ों में मध्यवर्ती निरसन/आशोधन के कारण परिवर्तन हो सकता है।



## अनुलग्नक - V

### सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान स्लैब-वार गारंटी अनुमोदित तथा यथा 31 मार्च 2016 तक का संचयी

क्र. सं.	दायरा	वित्तीय वर्ष 2016		संचयी	
		प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
1	100,000/- तक	244943	115562.14	856238	421561.36
2	100,001 से 200,000/-	90867	150396.66	523863	810556.04
3	200,001 से 500,000/-	87557	325471.45	474802	1723195.89
4	500,001 से 10,00,000/-	53712	407981.31	238585	1827469.82
5	10,00,001 से 25,00,000/-	25727	449688.86	163878	2822476.20
6	25,00,001 से 50,00,000/-	7892	295712.97	46180	1751630.18
7	50,00,001 से 100,00,000/-	3280	250125.14	20127	1542196.13
	<b>कुल</b>	<b>513978</b>	<b>1994938.53</b>	<b>2323673</b>	<b>10899085.62</b>

विशेष : अन्तर्वर्ती निरस्तीकरणों/संशोधनों के कारण वास्तविक आंकड़ों में अंतर हो सकते हैं।









# खातों का विवरण 2015-2016



## लेखा परीक्षा रिपोर्ट

के एस संघवी  
बी कॉम (हॉन) एलएलबी, एफसीए  
एच ए दोषी  
बी कॉम, एफसीए  
एस बी शेठिया  
बी कॉम, एफसीए  
टी के संघवी  
बी कॉम, एसीए, डीआईएसए (आईसीएआई)

### के. एस. संघवी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार  
ए-218/219, कनारा बिजनेस सेंटर, लक्ष्मी नगर,  
घाटकोपर अंधेरी लिंक रोड, एवेरेस्ट गार्डन के पीछे,  
घाटकोपर (पू), मुम्बई 400 075  
दूरभाष : 25004144, 25004344, फैक्स : 91-22-25006024  
ई-मेल : kssco@vsnl.com; kssco@mtnl.net.in

प्रति,  
न्यासी बोर्ड  
सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट  
मुम्बई

- हमने यथा 31 मार्च 2016 की यथा स्थिति सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट के संलग्न तुलनपत्र और उसके साथ संलग्न इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण दोनों की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी न्यासी प्रबंधन की है। हमारा दायित्व यह है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में अभिमत व्यक्त करें।
- भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा संपन्न की है। उन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि वित्तीय विवरणों के तथ्यगत मिथ्याकथनों से मुक्त होने के विषय में समुचित रूप से आश्वस्त हुआ जा सके। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, वित्तीय विवरणों में घोषणाओं और धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों को शामिल किया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत लेखांकन सिद्धांतों और किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ-साथ समग्र वित्तीय प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती है।
- हम निम्नानुसार सूचित करते हैं :
  - ₹ 17,04,348 की वार्षिक सेवा शुल्क की धनवापसी राशि के संदर्भ में सूचना के अलावा हमने वे सभी जरूरी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी इस लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे;
  - हमारा अभिमत है कि खाताबहियों की हमने जो जांच की, उससे यही प्रतीत होता है कि ट्रस्ट ने कानून अपेक्षित समुचित खाताबहियों का रखरखाव किया है;
  - इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय और व्यय खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण का उल्लेख है वह खाताबहियों के अनुरूप है; और
  - हमारी राय में वित्तीय विवरणों और उनके साथ पठित टिप्पणियां भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन-सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करती हैं :
    - तुलनपत्र के मामले में यथा 31 मार्च 2016 को ट्रस्ट के कामकाज के बारे में;
    - आय और व्यय लेखों के मामले में इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ट्रस्ट के अधिशेष के बारे में; और
    - नकदी प्रवाह विवरण के मामले में इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ट्रस्ट के नकदी प्रवाह के बारे में।

कृते के. एस. संघवी एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म रजि. सं.116714W

तपन संघवी  
भागीदार  
सदस्य संख्या : 122244

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 25 अगस्त 2016



## तुलनपत्र

# सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) 31 मार्च 2016 की स्थिति का तुलनपत्र

विवरण	अनुसूचियां	31.03.2016 को		31.03.2015 को	
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
<b>निधि का स्रोत</b>					
मूल निधि	1		33,75,25,38,951		33,24,90,11,021
सामान्य निधियां	2		74,20,662		74,61,100
चालू देयताएं और प्रावधान	3		18,20,71,11,289		18,20,63,94,738
<b>कुल</b>			<b>51,96,70,70,902</b>		<b>51,46,28,66,859</b>
<b>निधि का अनुप्रयोग स्थिर आस्तियां</b>					
कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर		1,84,83,034		1,74,33,941	
घटाएं : मूल्यह्रास		1,79,82,785	5,00,249	1,73,98,631	35,310
फर्नीचर और जुड़नार		12,37,595		11,46,386	
घटाएं : मूल्यह्रास		12,08,022	29,573	3,20,721	8,25,665
मोटर कार		12,66,029		12,66,029	
घटाएं : मूल्यह्रास		5,06,410	7,59,619	2,53,205	10,12,824
बिजली के उपकरण		11,85,559		9,83,718	
घटाएं : मूल्यह्रास		8,54,270	3,31,289	3,50,551	6,33,167
			<b>16,20,730</b>		<b>25,06,966</b>
<b>निवेश</b>	4		48,11,62,64,596		48,05,53,30,745
<b>चालू आस्तियां</b>					
रोकड शेष			3,066		4,826
बैंक में शेष राशि	5		23,05,602		48,37,746
उपचित आय	6		45,76,016		1,13,70,961
प्राप्य राशियां	7		20,03,99,992		18,36,41,463
जमा राशियां (किराया)			70,20,000		70,20,000
गारंटी दावों का अग्रिम भुगतान			8,81,887		4,45,961
कर प्राधिकरणों से वापसी योग्य रकम	8		3,63,39,99,013		3,19,77,08,191
<b>कुल</b>			<b>51,96,70,70,902</b>		<b>51,46,28,66,859</b>
लेखे से संबद्ध टिप्पणियां	10		-		0

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

उक्त तुलनपत्र और इससे संलग्न सभी अनुसूचियों का हम एतद्वारा सत्यापन करते हैं

कृते के. एस. संघवी एंड कम्पनी  
सनदी लेखाकार  
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 116714W

ट्रस्टी बोर्ड की ओर से

ह/-

(तपन संघवी सदस्यता सं. 122244)  
भागीदार

(डॉ. क्षत्रपति शिवाजी)  
अध्यक्ष

ह/-

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 25 अगस्त, 2016

ह/-  
(एस.एन. त्रिपाठी)  
उपाध्यक्ष

(प्रदीप मालगांवकर)  
सदस्य सचिव

## आय और व्यय

### सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

31 मार्च 2016 को आय और व्यय खाता

विवरण	अनुसूचियां	राशि (₹ में)	
		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
<b>आय</b>			
निवेश पर ब्याज		4,38,28,38,703	4,39,53,47,923
गारंटी शुल्क		1,59,66,81,636	1,66,82,67,743
वार्षिक गारंटी शुल्क		2,28,34,82,760	84,27,18,079
वार्षिक सेवा शुल्क		1,51,35,26,869	2,13,74,36,840
विविध आय		8,01,092	8,60,859
दंडात्मक ब्याज से आय		5,41,951	85,425
भुगतान किए गए दावों पर एमएलआई से वसुलियां		57,93,65,872	31,49,69,463
		<b>10,35,72,38,883</b>	<b>9,35,96,86,332</b>
<b>व्यय</b>			
परिचालन और अन्य प्रशासनिक व्यय	9	6,87,33,326	6,85,77,487
गारंटी दावों के लिए प्रावधान		10,20,73,00,000	11,08,03,00,000
अदा किए गए सेवाकर पर ब्याज		3,11,109	2,87,064
बैंक प्रभार		13,139	-
मूल्यहास		22,28,379	11,86,710
		<b>10,27,85,85,953</b>	<b>11,15,03,51,261</b>
<b>व्यय की तुलना में आय का आधिक्य</b>		<b>7,86,52,930</b>	<b>(1,79,06,64,929)</b>
जोड़े / घटाएं : पूर्ववर्ती अवधि की मर्दे		-	-
जोड़े / घटाएं : बड़े खाते के लिए आधिक्य का प्रावधान		-	-
<b>कर से पूर्व अधिशेष</b>		<b>7,86,52,930</b>	<b>(1,79,06,64,929)</b>
घटाएं : आयकर हेतु प्रावधान		-	-
<b>कर पश्चात् अधिशेष</b>		<b>7,86,52,930</b>	<b>(1,79,06,64,929)</b>
घटाएं : सामान्य निधियां		-	-
<b>व्यय की तुलना में आय के अधिशेष को समूह निधि में शामिल किया गया</b>		<b>7,86,52,930</b>	<b>(1,79,06,64,929)</b>
खातों से संबद्ध टिप्पणियां	10	-	-

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

उक्त आय और व्यय खाते तथा इससे संलग्न सभी अनुसूचियों का सत्यापन करते हैं

कृते के. एस. संघवी एंड कम्पनी  
सनदी लेखाकार  
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 116714W

ट्रस्टी बोर्ड की ओर से

ह/-

(तपन संघवी सदस्यता सं. 122244)  
भागीदार

(डॉ. क्षत्रपति शिवाजी)  
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 25 अगस्त, 2016

ह/-  
(एस.एन. त्रिपाठी)  
उपाध्यक्ष

ह/-  
(प्रदीप मालगांवकर)  
सदस्य सचिव

# नकदी प्रवाह

## सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि ₹ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	31 मार्च 2016	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015	31 मार्च 2015
<b>परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह</b>		<b>7,86,52,930</b>		<b>(1,79,06,64,929)</b>
आय एवं व्यय विवरणी के अनुसार कर से पूर्व आय पर व्यय का आधिक्य जोड़े : आय एवं व्यय खातों में नामे मूल्यहास	22,28,379		11,86,710	
सेवा कर पर अदा किया गया ब्याज	3,11,109		2,87,064	
आय एवं व्यय खातों में नामे गारंटी दावों के संबंध में प्रावधान घटाएं : निवेश पर ब्याज	10,20,73,00,000 (4,38,28,38,703)		11,08,03,00,000 4,39,53,47,923	
<b>कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व नकदी प्रवाह</b>		<b>5,82,70,00,785</b>		<b>6,68,64,25,851</b>
<b>कार्यशील पूंजी में परिवर्तन</b>		<b>5,90,56,53,715</b>		<b>4,89,57,60,922</b>
उपचित आय में वृद्धि/कमी	67,94,945		4,64,04,509	
प्राप्य राशियों में वृद्धि/कमी	(1,67,58,529)		13,89,54,355	
जमा राशियों में वृद्धि/कमी	-		(70,20,000)	
गारंटी दावों के अग्रिम भुगतान में वृद्धि/कमी	(4,35,926)		16,02,78,354	
कर प्राधिकरणों से वापसी-योग्य रकम में वृद्धि/कमी	3,94,477		(51,48,14,555)	
वर्तमान देयताओं में वृद्धि/कमी	(15,91,98,295)		8,16,54,825	
		(16,92,03,328)		(9,45,42,512)
<b>कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पश्चात् नकदी प्रवाह में परिवर्तन</b>		<b>5,73,64,50,387</b>		<b>4,80,12,18,410</b>
घटाएं : वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे कर की अग्रिम अदायगी	(10,04,73,85,154) (43,66,85,299)		(7,23,60,77,959) (43,96,00,371)	
		(10,48,40,70,453)		(7,67,56,78,330)
<b>परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकद प्रवाह (क)</b>		<b>(4,74,76,20,066)</b>		<b>(2,87,44,59,920)</b>
<b>निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह</b>				
वर्ष के दौरान अधिग्रहित स्थिर आस्तियां	(13,42,143)		(36,90,009)	
वर्ष के दौरान निवेश में परिवर्धन	(6,09,33,851)		(2,48,05,94,009)	
<b>निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त नकद प्रवाह (ख)</b>		<b>(6,22,75,994)</b>		<b>(2,48,42,84,018)</b>
<b>वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न नकद प्रवाह</b>				
वर्ष के दौरान मूल निधि में की गई वृद्धि	42,48,75,000		93,73,75,000	
सामान्य आरक्षित निधि में परिवर्तन	(40,438)		(1,52,345)	
सेवा कर पर अदा किया गया ब्याज	(3,11,109)		(2,87,064)	
निवेश पर ब्याज आय	4,38,28,38,703		4,39,53,47,923	
<b>वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न नकद प्रवाह (ग)</b>		<b>4,80,73,62,156</b>		<b>5,33,22,83,514</b>
<b>वर्ष के दौरान नकद प्रवाह में हुई निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)</b>		<b>(25,33,904)</b>		<b>(2,64,60,424)</b>
नकद एवं नकद समतुल्य का आरंभिक शेष		48,42,572		3,13,02,996
<b>नकद एवं नकद समतुल्य का अंतिम शेष</b>		<b>23,08,668</b>		<b>48,42,572</b>

टिप्पणियां :

- नकद राशियों एवं बैंक में शेष राशियों को शामिल करते हुए नकद राशियां एवं नकद समतुल्य।
- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकद राशियों के बहिर्गमन को दर्शाते हैं।
- निम्नलिखित को शामिल करते हुए 31 मार्च, 2016 को नकद राशियां एवं नकदी समतुल्य राशियां।

	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015
नकद शेष	3,066	4,826
बैंक में शेष	2,305,602	4,837,746
<b>कुल</b>	<b>2,308,668</b>	<b>4,842,572</b>

- आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों का समूहन किया गया है।  
उक्त नकद प्रवाह विवरण हमारी सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार तैयार की गई है।

कृते के. एस. संघवी एंड कम्पनी  
सनदी लेखाकार  
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 116714W  
(तपन संघवी सदस्यता सं. 122244)  
भागीदार

ट्रस्टी बोर्ड की ओर से

ह/-

(डॉ. क्षत्रपति शिवाजी)  
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 25 अगस्त, 2016

ह/-  
(एस.एन. त्रिपाठी)  
उपाध्यक्ष

ह/-  
(प्रदीप मालगांवकर)  
सदस्य सचिव



## अनुसूची

### सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु तुलनपत्र के निर्धारक भाग की अनुसूचियां

विवरण	वर्तमान वर्ष (₹)	विगत वर्ष (₹)
<b>अनुसूची : 1</b> <b>मूल निधि</b> निम्नलिखित से प्राप्त भारत सरकार सिडबी (सिडबी से क्रमशः आरएसएफ 1 एवं 2 के लिए प्राप्त ₹ 25,00,00,000 एवं ₹ 7,77,50,000 की निधि सहित) (क)	19,35,97,33,000 4,95,55,58,250 <b>24,31,52,91,250</b>	19,11,23,33,000 4,77,80,83,250 <b>23,89,04,16,250</b>
व्यय की तुलना में आय का आधिक्य आगे लाया गया राशि शेष जोड़े : वर्तमान वर्ष का अतिशेष (ख)	9,35,85,94,771 7,86,52,930 <b>9,43,72,47,701</b>	11,14,92,59,700 (1,79,06,64,929) <b>9,35,85,94,771</b>
(क + ख)	<b>33,75,25,38,951</b>	<b>33,24,90,11,021</b>
<b>अनुसूची : 2</b> <b>सामान्य निधियां</b> <b>आगे लायी गई राशि शेष</b> जोड़े : आय एवं व्यय खाते में अंतरित घटाएं : पूर्व अवधिक की मदें	74,61,100 - (40,438) <b>74,20,662</b>	76,13,445 - (1,52,345) <b>74,61,100</b>
<b>अनुसूची : 3</b> <b>चालू देयताएं और प्रावधान</b> गारंटी दावों के लिए प्रावधान (अनुसूची 10 की टिप्पणी 8 भी देखिए) व्यय के प्रति बकाया देयताएं सिडबी को प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि देय गारंटी दावे देय टीडीएस देय व्यावसायिक कर एलआईसी से प्राप्त बीमा दावा लौटाई जाने योग्य गारंटी फीस लौटाई जाने योग्य वार्षिक सेवा फीस डीसी (हस्तशिल्प तथा हथकरघा), भारत सरकार से जीएफ व एएसएफ के लिए प्राप्त अग्रिम एजीएफ के लिए प्राप्त अग्रिम देय सेवा कर विनियोजन के लिए बकाया प्राप्तियां	17,34,61,54,693 33,79,602 29,81,737 5,11,18,608 6,77,281 700 - 13,66,171 6,47,65,855 52,61,034 72,99,83,894 9,90,530 4,31,184 <b>18,20,71,11,289</b>	17,18,62,39,847 58,91,884 26,10,322 6,91,90,535 11,95,468 300 2,00,000 68,27,663 21,07,12,647 31,92,978 71,54,25,987 3,708 49,03,399 <b>18,20,63,94,738</b>
<b>अनुसूची : 4</b> <b>निवेश</b> 1) बैंकों में मियादी जमा में निवेश i) डीसी (हस्तशिल्प तथा हथकरघा), भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम का निवेश ii) मूल निधि और अन्य निधियों का निवेश 2) डीआईएस के तहत आईडीबीआई बैंक लि. में निवेश	35,38,533 48,06,22,46,063 5,04,80,000 <b>48,11,62,64,596</b>	15,29,700 48,04,44,01,045 94,00,000 <b>48,05,53,30,745</b>
<b>अनुसूची : 5</b> <b>बैंक में शेष राशि</b> चालू खाते में आईडीबीआई बैंक लि. आईडीबीआई बैंक लि. — डीसी (हस्तशिल्प), भारत सरकार आईडीबीआई बैंक लि. — डीसी (हथकरघा), भारत सरकार	20,16,701 - 2,88,901 <b>23,05,602</b>	46,16,901 24,140 1,96,705 <b>48,37,746</b>

## अनुसूची

### सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु तुलनपत्र के निर्धारक भाग की अनुसूचियां

विवरण	वर्तमान वर्ष (₹)	विगत वर्ष (₹)
<b>अनुसूची : 6</b>		
<b>उपचित आय</b>		
प्राप्य वार्षिक सेवा शुल्क	41,28,318	10,063
प्राप्य वार्षिक शुल्क	4,47,698	2,97,158
प्राप्य वार्षिक सेवा शुल्क (पुनः प्रचलन/वृद्धि)	-	1,10,63,740
	<b>45,76,016</b>	<b>1,13,70,961</b>
<b>अनुसूची : 7</b>		
<b>प्राप्य धनराशियां</b>		
पूर्वदत्त व्यय	82,067	3,85,749
डीआईएस प्राप्य राशियां	-	-
प्राप्य गारंटी दावें	11,661	3,95,605
प्राप्य गारंटी शुल्क	40,316	24,15,562
प्राप्य सेनवेट क्रेडिट हेतु प्रावधान	6,75,094	7,88,922
सेवाकर वापसी	9,59,87,803	7,65,72,058
सेवाकर (आईसीसी/एसएचसीई)	28,79,349	-
सिडबी/आईएसएआरसी से वसूली योग्य	-	2,81,245
वसूली योग्य सेवाकर	10,07,23,702	10,28,02,322
	<b>20,03,99,992</b>	<b>18,36,41,463</b>
<b>अनुसूची : 8</b>		
<b>कर प्राधिकरणों से वापसी योग्य रकम</b>		
प्रतिदाय आयकर 31/3/07	8,68,43,908	8,68,43,908
प्रतिदाय आयकर 31/3/08	3,99,29,054	3,99,29,054
प्रतिदाय आयकर 31/3/09	2,21,18,100	2,21,18,100
प्रतिदाय आयकर 31/3/13	23,72,09,453	23,72,09,453
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/10	1,52,88,27,407	1,52,88,27,407
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/11	51,48,14,555	51,48,14,555
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/12	-	-
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/13	2,19,876	2,19,876
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/14	1,43,95,52,963	1,43,95,52,963
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/15	43,95,61,396	43,96,00,371
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/16	43,66,85,299	-
वापसी योग्य अनुलाभ कर	-	3,55,502
(क)	<b>4,74,57,62,011</b>	<b>4,30,94,71,189</b>
<b>घटाएं : टैक्स हेतु प्रावधान 31/03/10</b>	1,11,17,62,998	1,11,17,62,998
(ख)	<b>1,11,17,62,998</b>	<b>1,11,17,62,998</b>
<b>कर प्राधिकरणों से वापसी योग्य रकम</b>	<b>3,63,39,99,013</b>	<b>3,19,77,08,191</b>
(क)-(ख) =		

## अनुसूची

### सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु तुलनपत्र के निर्धारक भाग की अनुसूचियां

विवरण	वर्तमान वर्ष (₹)	विगत वर्ष (₹)
<b>अनुसूची : 9</b>		
<b>परिचालन और अन्य प्रशासनिक व्यय</b>		
एसीएसआईसी व्यय	4,70,366	3,27,265
एटीपी व्यय	26,51,703	-
विज्ञापन और प्रचार व्यय	1,98,001	19,38,533
लेखापरीक्षक को पारिश्रमिक	3,10,000	3,10,000
बोर्ड बैठक पर व्यय	41,425	1,00,371
आवागमन और वाहन पर व्यय	3,92,821	7,39,014
कूरियर/डाक प्रभार	1,20,038	1,20,532
बिजली संबंधी व्यय	11,78,856	3,52,915
बीमा प्रभार	36,200	19,761
आंतरिक लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	2,85,000	2,85,000
आईटी सेवा	84,88,320	82,78,439
ब्याज व्यय	-	4,122,604
सदस्यता शुल्क	1,76,320	1,51,549
विविध व्यय	13,55,503	20,87,083
नए कार्यालय में शिफ्ट होने संबंधी व्यय	-	2,06,000
परिसर रख-रखाव व्यय	8,64,780	2,70,443
कार्यालय व्यय	16,45,151	28,10,186
कार्यालय का किराया	1,48,70,770	99,53,322
कार्मिकों पर लागत और व्यय	3,22,96,631	3,25,65,098
मुद्रण और लेखन सामग्री	8,67,850	5,95,710
एडवोकेट शुल्क	2,95,000	-
व्यावसायिक फीस	9,04,900	16,20,000
सुरक्षा व्यय	2,49,916	1,41,382
टेलिफोन पर व्यय	4,60,229	3,28,243
यात्रा संबंधी व्यय	5,73,546	12,54,037
	<b>6,87,33,326</b>	<b>6,85,77,487</b>



## लेखा टिप्पणियाँ

### सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) तुलनपत्र और आय तथा व्यय खाते का अंश तैयार करने की अनुसूची

अनुसूची : 10 :- खातों पर टिप्पणियाँ :

#### 1. विशिष्ट लेखांकन नीतियाँ

क) **लेखांकन परिपाटियाँ** : ऐतिहासिक लेखांकन के साथ-साथ सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इन वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है।

ख) **आय और व्यय का निर्धारण** : इस ट्रस्ट द्वारा लेखांकन के लिए मर्कन्टाइल आधार का अनुसरण किया जाता है।

ग) **स्थायी परिसम्पत्तियाँ** : स्थायी परिसम्पत्तियों को लागत में से मूल्यह्रास करने के बाद दर्शाया गया है तथा कंप्यूटर व साफ्टवेयर, फर्नीचर और फिक्सचर पर 100%, विद्युत उपकरणों पर 50% और मोटर कार एवं प्लांट व मशीनरी पर 20% की दर से सरल रेखा पद्धति से मूल्यह्रास लिया गया है। यदि किन्हीं आस्तियों का उपयोग वित्तीय वर्ष में 180 से कम दिनों के लिए किया गया है तो ऐसी आस्तियों के लिए 50% की दर से मूल्यह्रास लिया गया है।

घ) **निवेश** : निवेशों की लागत पर, उस पर उपचित ब्याज पर दर्शाया गया है। जोखिम शेयरिंग निधि से संबंधित निवेशों और उपायुक्त (हथकरघा) तथा उपायुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार के कार्यालय से प्राप्त निधि को तुलनपत्र में अलग से दर्शाया गया है।

ङ.) **पूर्ववर्ती अवधि का समायोजन** : पूर्ववर्ती/विगत वर्षों से संबंधित व्यय और आय को पूर्ववर्ती अवधि की मदों के तौर पर हिसाब में लिया गया है।

च) **सेवानिवृत्ति लाभ** : इस ट्रस्ट में प्रतिनियुक्ति पर आए अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लाभ सिडबी प्रदान करता है और प्रतिपूर्ति के आधार पर इसे आय-खाते में वार्षिक आधार पर प्रभारित किया जाता है।

छ) **आस्थगित कर** : आस्थगित कर को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि यह निश्चित नहीं होता कि भावी करयोग्य आय के सम्मुख आस्थगित आस्तियों की उगाही हो ही जाए अथवा आस्थगित देयताओं का निपटान हो जाए।

2. ट्रस्ट को संचयी आधार पर 31 मार्च 2016 तक 81 सदस्य ऋणदाता संस्थानों से 1,17,822 (गत वर्ष 80950) दावा-आवेदन प्राप्त हुए। ट्रस्ट ने मुख्य रूप से प्रथम किस्त के रूप में 98,272 पात्र-दावों (गत वर्ष 63032) के लिए ₹ 2486.78 करोड़ (गत वर्ष ₹ 1492.58 करोड़) का निपटान किया। सदस्य ऋणदाता संस्थानों ने 46 आवेदन वापस लिए। प्रतिभूति के बारे में विवरण/अनुदान राशि के बारे में मांगी गई अतिरिक्त जानकारी प्राप्त नहीं हुई और इसलिए दावों को अस्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया। मार्च 31, 2016 की यथास्थिति के अनुसार 1027 (गत वर्ष 7238) आवेदन निपटान के

लिए लंबित थे, जो बाद में निपटाए गए।

3.

(₹ करोड़ में)		
विवरण	31.03.16 को	31.03.15 को
गारंटी अनुमोदन यथा	1,09,598	90,446
जारी की गई गारंटी यथा	99,453	81,772
स्वीकृत गारंटी, कार्यान्वयन बकाया यथा	10,145	8,460
बकाया गारंटी यथा	62,318	यह सूचना पिछली बार नहीं दी गई थी
बकाया गारंटी से सीजीटीएमएसई की देयता	45,271	
प्रथम दावा किस्त के प्रति सीजीटीएमएसई की देयता	33,953	

रोके गए दावों के प्रावधानों के अतिरिक्त, दी गई/स्वीकृत गारंटी हेतु ट्रस्ट की आकस्मिक रूप से देयता होती है, जो कि एमएसई, जिनके संरक्षण के लिए ऐसी गारंटी दी गई/स्वीकृत की गई, द्वारा गैर-निष्पादन के कारण होती हैं।

4. ट्रस्ट स्टाफ और आईटी सेवा की सुविधाओं को सिडबी से प्राप्त करता है। सिडबी और ट्रस्ट के बीच 4 अक्टूबर 2001 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार ट्रस्ट की ओर से सिडबी द्वारा प्रशासनिक व्यय के रूप में, किए गए व्यय के लिए ट्रस्ट 20% की दर से सेवा शुल्क का भुगतान करता है, जो कि जुलाई 2009 तक सीधे ही ट्रस्ट के कार्यों के लिए किए जाते थे। हालांकि आपस में मिलकर किए गए निर्णय के अनुसार अगस्त 2009 से इसे समाप्त कर दिया गया।

5. ट्रस्ट पहली बार में निपटाए गए दावे के 75% का भुगतान करता है, शेष राशि का भुगतान सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में किया जाता है। 725 मामलों में (गत वर्ष 109 मामलों) 25% का परावर्ती भुगतान किया गया। हालांकि, अन्य मामलों में सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन अभी किया जाना है, जिससे वे शेष रकम को प्राप्त करने के पात्र बनते हैं।

6. लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक ₹ 3,10,000/- (गत वर्ष ₹ 3,10,000/-)

(₹ में)		
विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
लेखापरीक्षा फीस	2,50,000	2,50,000
टैक्स ऑडिट फीस	60,000	60,000
सेवा कर	44,950	38,316
<b>कुल</b>	<b>3,54,950</b>	<b>3,48,316</b>



## 7. कराधान

### 7.1 प्रत्यक्ष कराधान

ट्रस्ट को वित्त अधिनियम 2002 द्वारा 01.04.2002 से आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") की धारा 10(23ईबी) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-03 से निर्धारण वर्ष 2006-07 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 10(23ईबी) के अंतर्गत ट्रस्ट की आय को छूट दी गई थी।

ट्रस्ट को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था और तदनुसार इसने निर्धारण वर्ष 2007-08 तथा निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत छूट का दावा किया। संबंधित निर्धारण वर्षों के लिए छूट का दावा करते समय, अधिनियम की धारा 11(2) के अनुसार ट्रस्ट ने आय का 85% संचय किया और इसे उन उद्देश्यों के लिए व्यय किया जाना था, जिसके लिए उसकी स्थापना की गई थी।

वित्त अधिनियम, 2008 ने 1.4.2008 अर्थात् निर्धारण वर्ष 2009-2010 से धारा 2(15) को संशोधित किया। तदनुसार, ट्रस्ट ने निर्धारण वर्ष 2009-10 के बाद धारा 11 के लाभ और आय के संचयन का दावा नहीं किया है।

आयकर निदेशक (छूट) - डीआईटी(ई) ने 07.12.2011 दिनांकित आदेशानुसार यह निष्कर्ष दिया था कि निर्धारित ट्रस्ट) द्वारा संचालित गतिविधियाँ व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय आदि की प्रकृति की हैं तथा धारा 2(15) के संशोधित प्रावधानों का संदर्भ देते हुए, इस ट्रस्ट को धारा 12ए के तहत प्रदान पंजीकरण निर्धारण वर्ष 2009-10 से वापस ले लिया था। ट्रस्ट ने इस आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष अपील की थी। 1961 के अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत किए गए पंजीकरण को रद्द किए जाने के विरुद्ध ट्रस्ट द्वारा आईटीएटी के समक्ष दायर की गई अपील का निर्णय ट्रस्टी के पक्ष में आदेश दिनांक 28.05.2014 के माध्यम से किया गया। आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत ट्रस्ट के पंजीकरण की आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) द्वारा पुनर्मान्यता के बाद, आयकर निदेशक (छूट) ने मुंबई न्याय क्षेत्र के उच्च न्यायालय में नवंबर 2014 में एक अपील दर्ज की है।

आकलन वर्ष 2009-10 हेतु आकलन कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, आकलन अधिकारी (ए.ओ.) ने धारा 143(3) के अंतर्गत आदेश जारी किया है जिसके अनुसार अधिनियम की धारा 11(1)(ए) के अंतर्गत 15% की छूट के दावे को नामंजूर किया है। ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) में अपील की है जो कि लंबित है। इस के बाद डीआईटी(ई) ने दिनांक 27.03.2014 को इस अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत जानकारी आकलन अधिकारी को कतिपय दिशानिर्देश देते हुए आदेश पारित किया है कि वे इस आधार पर फिर से आकलन करें कि ट्रस्ट को 12ए के अंतर्गत अनुमत पंजीकरण को डी आईटी(ई) ने दिनांक 07.12.2011 को आकलन वर्ष 2009-10 से वापस ले लिया था। साथ ही, 27.03.2015 को आकलन अधिकारी ने आयकर अधिनियम की धारा 263 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 143(3) के अंतर्गत आदेश पारित किया और ₹ 94,38,84,008/- और

₹154,61,77,037/- की अतिरिक्त राशियाँ जोड़ दी हैं, जो कि क्रमशः आकलन वर्ष 2007-08 एवं आकलन वर्ष 2008-09 के दौरान धारा 11(2) के अंतर्गत संचित राशियाँ हैं तथा साथ ही, उन्होंने वर्ष के दौरान, ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में ₹ 156,10,25,000/- की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे धारा 2(24)(iia) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय की तरह माना गया है तथा तदनुसार ₹ 306,66,43,175/- की राशि की मांग की गई। धारा 263 के अंतर्गत जारी आदेश से अपकृत ट्रस्ट ने आईटीएटी के समक्ष अपील की। माननीय आईटीएटी ने डीआईटी(ई) के आदेश को 11.09.2015 दिनांकित आदेश द्वारा रद्द किया। आकलन अधिकारी ने आईटीएटी के 12.02.2016 दिनांकित आदेश को प्रभावी मानते हुए दावे को शून्य निर्धारित किया।

आकलन वर्ष 2010-11 हेतु आकलन कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, आकलन अधिकारी ने ₹ 94,38,84,008/- और ₹ 154,61,77,037/- की अतिरिक्त राशियाँ जोड़ दी हैं, जो कि क्रमशः आकलन वर्ष 2007-08 एवं आकलन वर्ष 2008-09 के दौरान धारा 11(2) के अंतर्गत संचित राशियाँ हैं तथा साथ ही, उन्होंने वर्ष के दौरान, ट्रस्ट के अवस्थापकों अर्थात्, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में ₹ 166,41,00,000/- की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है। इसके पीछे यह तर्क है कि चूंकि ट्रस्ट को अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण को डीआईटी(ई), मुंबई ने आकलन वर्ष 2009-10 से वापस ले लिया था, अतः ट्रस्ट अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत किसी लाभ हेतु पात्र नहीं है। उक्त राशियों को जोड़े जाने के विरुद्ध, ट्रस्ट ने आयकर आयुक्त (अपील) – सीआईटी(ए) में एक अपील दायर की है तथा सीआईटी(ए) ने 28.07.2014 दिनांकित आदेश में यह कहा कि अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत वर्ष के दौरान आय का निर्धारण लागू नहीं हो सकता और अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि छूट के दावे एकल आधार पर स्वीकार्य नहीं हो सकते। सीआईटी(ए) को उक्त दावे से अपकृत होकर ट्रस्ट ने माननीय आईटीएटी के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जिसकी सुनवाई लंबित है। डीआईटी(ई) ने आकलन वर्ष 2010-11 हेतु माँगी गई ₹ 1,74,67,65,531/- की राशि के समक्ष डीआईटी(ई) ने ट्रस्ट को निदेशित किया गया था कि मार्च 2014 तक 10 किस्तों में ₹ 41.61 करोड़ की राशि का अंतरिम भुगतान किया जाए, जो कि ट्रस्ट ने विधिवत रूप से जमा कर दिया था। दावे की शेष राशि पर आईटीएटी ने लंबित अपील की सुनवाई होने तक स्थगन आदेश दिया है।

आकलन वर्ष 2011-12 हेतु आकलन कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, जानकारी आकलन अधिकारी ने धारा 143(3) के अंतर्गत जारी आदेश में, वर्ष के दौरान, ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में ₹ 250,00,00,000/- की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(iia) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय की तरह माना गया है तथा तदनुसार ₹102,96,29,441/- की राशि की मांग की गई है। इस अतिरिक्त राशि के जोड़े जाने के विरुद्ध ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) के समक्ष एक अपील दायर की थी। माननीय सीआईटी(ए) ने आकलन वर्ष 2010-11 के सीआईटी(ए) आदेश के मद्देनजर अपील को खारिज कर दिया। ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) के दावे से अपकृत होकर माननीय आईटीएटी में



अपील की है जो कि अभी निपटान हेतु लंबित है। ट्रस्ट ने ₹ 1,02,96,29,110/- के किए गए दावे से 31.03.2015 तक ₹ 51,48,14,555/- की किश्तों का भुगतान कर दिया है।

आकलन वर्ष 2012-13 हेतु आकलन कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, आकलन अधिकारी ने वर्ष के दौरान, ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹ 2,22,50,000/- की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(ia) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय की तरह माना गया है और इस अधिनियम की धारा 11 (1)(ए) के अंतर्गत छूट के दावे को खारिज करते हुए ₹ 10,40,35,270/- के भुगतान का दावा किया गया, जिसमें सुधार कर अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत दिनांक 13.10.2015 को ₹ 69,44,000/- का आदेश जारी किया गया। ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) से अपील की है जो निपटान हेतु लंबित है।

आकलन वर्ष 2013-14 हेतु आकलन कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, आकलन अधिकारी ने वर्ष के दौरान, ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹ 42,77,50,000/- की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(ia) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय की तरह माना गया है और इस अधिनियम की धारा 11 (1)(ए) के अंतर्गत छूट के दावे को खारिज करते हुए ₹ 10,48,59,600/- की धन वापसी निर्धारित की गई जिसे आकलन वर्ष 2011-12 की लंबित मांग राशि के विरुद्ध समायोजित किया गया। इस अतिरिक्त दावे के विरुद्ध ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) से अपील की है जो निपटान हेतु लंबित है।

## 7.2 अप्रत्यक्ष कराधान

द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस, चेन्नई ने 14.10.2014 दिनांकित कारण बताओ नोटिस के द्वारा ट्रस्ट से सवाल किया है कि उसे प्राप्त होने वाले गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क को "व्यापार या वाणिज्य हेतु समर्थन सेवा" क्यों ना माना जाए। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 (104सी) जिसे धारा 65 (105) (जेडजेडजेडक्यू) के साथ पढ़ा जाना चाहिए इसके अंतर्गत ₹ 79,68,11,936/- का दावा और आकलन वर्ष 2009-10 से जून 30, 2012 तक की अवधि हेतु धारा 75 के अंतर्गत ब्याज तथा धारा 76, 77, और 78 के अंतर्गत अर्थ दंड क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। कारण बताओ नोटिस के जवाब में ट्रस्ट ने 17.12.2014 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया और 17.04.2015 को व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थिति दर्ज की गई। इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

सेवा कर नियम, 1994 के नियम 5ए के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए कर निर्धारिती ट्रस्ट को सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए चुना गया है। लेखा परीक्षा टिप्पणियों के आधार पर सहायक आयुक्त, सेवा कर, मुम्बई ने 18.04.2016 दिनांकित कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ट्रस्ट से निम्नलिखित स्पष्टीकरण मांगे हैं।

ए) सिडबी से स्टाफ की प्रतिनियुक्ति को व्यापार समर्थन सेवा गतिविधि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए और धारा 75 के अंतर्गत ₹ 52,156/- का सेवा कर ब्याज सहित दावा नहीं किया जाना चाहिए और उसकी वसूली भी नहीं होनी चाहिए।

बी) विकास आयुक्त से अप्रयुक्त अग्रिमों के अंश पर धारा 75 के अंतर्गत ब्याज सहित प्राप्त ₹ 1,74,760/- की मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए।

सी) वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 के अंतर्गत अग्रिमों के समायोजित अंश पर विलंबित सेवा कर के प्रति विकास आयुक्त से प्राप्त राशि की मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए।

डी) धारा 76 के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर सेवा कर की अदायगी में चूक और धारा 78 के अंतर्गत सेवा कर से बचने हेतु करयोग्य गतिविधियों और करयोग्य सेवाओं की सही प्रकृति और मूल्य को दबाना व गलत घोषणा करने पर देय दंड राशि की मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए।

दिनांक 19.05.2016 को कर निर्धारिती ट्रस्ट द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया गया। मामले की सुनवाई लंबित है।

8. ट्रस्ट ने बीमांकक की रिपोर्ट प्राप्ति की है जिसमें दी गई बकाया गारंटियों की देयता के बारे में अनुमान दिए गए हैं। बीमांकक ने ऐसे दावों के लिए प्रावधानों का मूल्यांकन किया है और दायर किए गए दावों तथा जारी गारंटियों के बीच अपवर्ती समीकरण को प्रयोग किया गया है। मार्च 31, 2016 को बकाया गारंटी राशियों पर बीमांकक की रिपोर्ट में बताए गए प्रावधानों की राशि ₹ 1020.73 करोड़ है। ऐसे दावों के लिए प्रावधान का विवरण निम्ना नुसार है :

(₹ में)		
विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1 अप्रैल को आरंभिक राशि शेष	17,18,62,39,847	13,34,20,17,806
घटाएँ : वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावे	10,04,73,85,154	7,23,60,77,959
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	10,20,73,00,000	11,08,03,00,000
31 मार्च की अंतिम शेष	17,34,61,54,693	17,18,62,39,847

9. विदेशी मुद्रा में व्यय का विवरण (वास्तविक आधार पर)

(₹ में)		
विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
सहभागिता शुल्क	39,912	58,041
यात्रा और अन्य	1,62,650	1,21,720
सदस्यता शुल्क	63,820	—



10. जहां भी आवश्यक हुआ है, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित, पुनर्वर्गीकृत और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते के. एस. संघवी एंड कम्पनी  
सनदी लेखाकार  
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 116714W  
(तपन संघवी सदस्यता सं. 122244)  
भागीदार

स्थान : मुंबई  
दिनांक : अगस्त 25, 2016

ह/-  
(एस.एन. त्रिपाठी)  
उपाध्यक्ष

न्यासी मंडल की ओर से  
ह/-  
(डॉ. क्षत्रपति शिवाजी)  
अध्यक्ष

ह/-  
(प्रदीप मालगांवकर)  
सदस्य सचिव



# **Annual Report 2015-2016**

## Letter of Transmittal

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises,  
1002-1003, Naman Centre, 10th Floor, C-31, G Block  
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051

September 02, 2016

To  
The Additional Secretary & Development Commissioner (MSME)  
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises,  
Government of India  
Office of the Development Commissioner (MSME)  
Nirman Bhavan, 7th Floor, 'A' Wing  
Maulana Azad Road, New Delhi-110108

The Chairman and Managing Director  
Small Industries Development Bank of India  
Head Office, SIDBI Tower, 15, Ashok Marg  
Lucknow-226001

Dear Sir,

In term of Clause 14.2 of the Declaration of Trust executed by the Government of India and Small Industries Development Bank of India, the Settlers, I forward herewith the following documents:

- (i) A copy of audited accounts of the Trust for the financial year ended March 31, 2016 together with Auditor's Report and
- (ii) A copy of the report on the working of Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises for the period ended March 31, 2016.

Yours faithfully

Sd/-  
(P.A. Malgaonkar)  
Chief Executive Officer

Mumbai





## Chairman's Message



**Dr. Kshatrapati Shivaji, I.A.S.**  
Chairman, CGTMSE

**I** am glad to inform that the coverage under Credit Guarantee Scheme (CGS) has crossed yet another milestone by covering more than 5 lakh guarantee approvals in FY 2015-16, which is the highest so far in any single year. The number and amount of cumulative guarantee approvals, with 23,23,673 guarantees amounting to ₹1,08,991 crore till the end of FY 2015-16. It has registered a growth of about 28% and 21% respectively, over the previous Financial Year.

**T**he year 2015-16 has been a momentous one in terms of CGTMSE's operations and outreach to the MSE Sector. I am glad to inform that the coverage under Credit Guarantee Scheme (CGS) has crossed yet another milestone by covering more than 5 lakh guarantee approvals in FY 2015-16, which is the highest so far in any single year. The number and amount of cumulative guarantee approvals, with 23,23,673 guarantees amounting to ₹1,08,991 crore till the end of FY 2015-16. It has registered a growth of about 28% and 21% respectively, over the previous Financial Year. It is also a matter of great pride for CGTMSE that the cumulative amount of credit guarantees approved by the Trust and number of loans covered crossed ₹1,00,000 crore and 2 million mark respectively in FY 2015-16.

The Trust has completed sixteen years of its existence. However, if one were to assess the impact of the CGTMSE's existence in terms of creating an enabling environment conducive for germination of ideas across the range of micro and small enterprises, these sixteen years assume a special significance. The success of CGTMSE has paved the way for the Government to identify such areas of socio-economic importance which need guarantee as a driver of growth. This has led to the creation of the National Credit Guarantee Trustee Company Ltd. (NCGTC) and evolution of various other credit guarantee programmes in the areas of Education Loans, Skill Development Loans, Factoring, Mudra Loans, Stand-up India Loans, Start-up India, etc.

During the year, the Trust had the privilege of hosting the 25th Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) Training Programme in India (Mumbai) with the theme titled "Creating a Sustainable Credit Guarantee Organisation". The hosting of 25th ACSIC Training Programme was an intention to study and adopt the best global practices in credit guarantee organisations and was a prestigious event for CGTMSE. The CGTMSE also participated in the 28th ACSIC Conference held at Bali, Indonesia during the year and presented a case study of its experience in India on the main theme of the conference viz., "Measuring Soundness and Key Performance Indicators of Guarantee Corporations". CGTMSE's efforts, inclusive design of its guarantee products, handling of massive volume, additionality in terms of access to finance to first generation entrepreneurs and the socio-economic impact achieved by it in the 16 year period, were lauded by its international peers.

A delegation comprising officials from credit guarantee corporations of Nepal and Egypt visited CGTMSE during the year. The initiatives taken by CGTMSE in making the CGS sustainable were explained to the delegates. There were several takeaways for the delegates during these interactions.

The Trust is committed to make its Credit Guarantee Scheme a long term sustainable product. Towards this end, the Trust has initiated a few risk mitigation measures viz., increase in the risk sharing by its Member Lending Institutions (MLIs) for bigger size loans,

differential pricing mechanism duly factoring in the asset quality as recorded by MLIs with CGTMSE as also claim payout ratio and greater selectivity while registering Regional Rural Banks as MLIs of the Trust. The Trust also sharpened its inspection, post claim settlement and monitoring mechanism by carrying out increasing number of inspections of its MLIs post claim settlement.

CGTMSE, since its inception, has been constantly endeavoring to increase awareness about the CGS. During FY 2015-16, the Trust actively participated in the Town Hall/MSME Empowered Committee Meetings organized by Reserve Bank of India with a view to disseminate information on developments in CGTMSE to the participants. CGTMSE, in association with SITI, Bhubaneswar (SIDBI Training Institute), organized focused Training Programmes for operating officials of the banks. Further, CGTMSE also participated in the workshops organized by State Bank of India, Union Bank of India and Punjab National Bank covering all Zonal Offices across the country through Video Conferencing to familiarise them with product and processes as well as resolved many guarantee specific issues. The feedback and knowledge gathered through the interaction with MLIs should immensely benefit further improvements in product and processes of the scheme. The Trust also published an updated e-booklet on its scheme, inter-alia, defining operational processes in detail and FAQs for the benefit of its MLIs.

The Trust accords very high importance to improving service to its MLIs on a continuous basis. Towards this end, the Trust introduced its own toll-free number (1800-222-659) to enable its MLIs to establish quick contact with the Trust. The initiative has been largely appreciated by the MLIs and has helped the Trust in quickly resolving MLI queries. The Trust also re-engineered certain processes by automating few of the existing manual processes with a view to significantly reduce the process time and avoidable paper work, leading to better services to MLIs.

I am grateful to the Ministry of MSME, Govt. of India, the Reserve Bank of India and the Small Industries Development Bank of India for their valuable, timely and continuous support in the CGTMSE's endeavor at creating an enabling environment for the MSE Sector. I would also like to express my appreciation for the co-operation extended by the MLIs as well as all partner institutions of CGTMSE for their dedicated efforts and support to upscale operations of CGTMSE. I also compliment the CGTMSE team for its hard work and dedication to reach newer milestones during the reporting year and hope that we all will continue to strive for greater heights in the future.

With regards,

**Dr. Kshatrapati Shivaji, I.A.S.**  
Chairman, CGTMSE

Place : Mumbai  
Date : September 22, 2016

## Board of Trustees of CGTMSE (status as on August 25, 2016)



Dr. Kshatrapati Shivaji, IAS, Chairman (Ex-officio),  
Chairman & Managing Director,  
Small Industries Development Bank of India,  
Head Office: "SIDBI Tower",  
15, Ashok Marg, Lucknow - 226 001

Shri S. N. Tripathi, IAS, Vice Chairman (Ex-officio),  
Additional Secretary and Development Commissioner  
Ministry of MSME, Government of India  
"A" Wing , 7th Floor, Nirman Bhavan,  
Maulana Azad Road, New Delhi - 110 108



Shri Ashwani Kumar, Member (Ex-officio),  
Chairman, Indian Bank's Association and  
Chairman and Managing Director, Dena Bank  
C-10, G Block, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai - 400 051

Shri Pradeep Malgaonkar, Member Secretary  
Chief Executive Officer  
Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises  
1002-1003, Naman Centre, 10th Floor, C-31,  
G-Block, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai - 400 051





# Report of CGTMSE

## Report on the working of the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises for year ended March 31, 2016


### INTRODUCTION

#### 1. Corpus Fund of CGTMSE

- 1.1 The Corpus fund of the Trust is contributed by the Government of India (GoI) and Small Industries Development Bank of India (SIDBI) in the ratio of 4:1. The committed corpus of the Trust is ₹ 2,500 Crore to be contributed by GoI (₹2,000 Crore) and SIDBI (₹ 500 Crore). During FY 2016, the Trust received ₹42.49 crore towards Corpus of which GoI contributed ₹ 24.74 crore while SIDBI provided ₹ 17.75 crore to the Corpus taking the aggregate amount of individual contributions to ₹ 1935.98 crore and ₹ 495.56 crore respectively. As at March 31, 2016, the total Corpus of the Trust was ₹ 2431.54 Crore which formed 97.26% of the committed corpus. The details of year-wise corpus contribution is given in the following table:

#### CORPUS CONTRIBUTION (₹ Crore)

YEAR	GoI	SIDBI	Total
FY 2001	100.00	25.00	125.00
FY 2002	100.00	25.00	125.00
FY 2003	141.62	35.40	177.02
FY 2004	192.00	51.84	243.84
FY 2005	211.63	49.07	260.70
FY 2006	200.00	50.00	250.00
FY 2007	124.00	33.00	157.00
FY 2008	198.00	47.50	245.50
FY 2009	122.10	34.00	156.10
FY 2010	135.91	30.50	166.41
FY 2011	200.00	50.00	250.00
FY 2012	1.00	1.23	2.23
FY 2013	35.00	7.77	42.77
FY 2014	74.99	18.75	93.74
FY 2015	74.99	18.75	93.74
FY 2016	24.74	17.75	42.49
<b>Total</b>	<b>1935.98</b>	<b>495.56</b>	<b>2431.54</b>




- 1.1 The balance contribution of ₹ 68.46 Crore is due from GoI and SIDBI. With the growing preference of MLIs for CGTMSE cover and sharp increase in the guarantee approvals, it is felt that the Corpus would have to be suitably augmented urgently. Necessary action in this regard has already been initiated.

#### 2. Member Lending Institutions (MLIs)

Consequent upon amalgamation of number of Regional Rural Banks (RRBs) beginning FY 2012-13 at the instance of Ministry of Finance, Govt. of India, the total number of RRBs who had availed guarantee cover from CGTMSE reduced from 73 to 66 by the end of current FY. These 66 RRBs were individually required to re-register with CGTMSE, as per its revised registration criteria, for continuation of guarantee approval. During the period under review, out of the 66 RRBs, 12 RRBs, who were complying with the revised registration criteria, have been re-registered as

#### COMPOSITION OF MLIs





MLIs of CGTMSE. With this, the total number of RRBs re-registered with the Trust as its MLIs under revised registration criteria has increased to 21 till the end of FY 2016. The overall number of eligible MLIs of the Trust is 127 as at March 31, 2016 (**Annexure-I**) including those 45 RRB-MLIs, who, although have not been re-registered with the Trust, had availed guarantees on the previous occasion. Currently, 66 RRBs, 27 Public

Sector Banks, 21 Private Sector Banks, 4 Foreign Banks and 9 other Financial Institutions are eligible for guarantee cover from the Trust.


### 3. Operations under CGS

3.1 As on end of March 31, 2016, there were 119 MLIs which were availing guarantee cover. Table below gives the details of year-wise guarantee approvals since inception till March 31, 2016:


Year	No. of Active MLIs	No. of Credit Facilities Approved	Amount of Guarantees Approved (₹ Crore)	Cumulative Amount of Guarantees Approved (₹ Crore)	Average Size (₹ Lakh)
FY 2000-01	9	951	6	6	0.63
FY 2001-02	16	2,296	30	36	1.28
FY 2002-03	22	4,955	59	94	1.18
FY 2003-04	29	6,603	118	212	1.78
FY 2004-05	32	8,451	267	539	3.16
FY 2005-06	36	16,284	462	1,001	2.83
FY 2006-07	40	27,457	705	1,705	2.56
FY 2007-08	47	30,285	1,056	2,702	3.48
FY 2008-09	57	53,708	2,199	4,824	4.09
FY 2009-10	85	1,51,387	6,875	11,560	4.54
FY 2010-11	106	2,54,000	12,589	23,846	4.95
FY 2011-12	109	2,43,981	13,784	37,139	5.65
FY 2012-13	117	2,88,537	16,062	52,600	5.57
FY 2013-14	117	3,48,475	18,188	70,026	5.22
FY 2014-15	119	4,03,422	21,275	90,446	5.27
FY 2015-16	119	5,13,978	19,949	1,08,991	3.88
<b>Cumulative as on 31.03.2016</b>			<b>1,08,991</b>		

N.B.: Actual may vary due to intervening cancellations / modifications.

#### NO. OF CREDIT FACILITIES APPROVED (CUMULATIVE)




#### AMOUNT OF APPROVALS (CUMULATIVE)



- 3.2 During FY 2015-2016, a total of 5,13,978 guarantees have been approved for an amount of ₹ 19,949 Crore. Cumulatively, as on March 31, 2016, a total of 23,23,673 accounts have been accorded guarantee approvals for ₹ 1,08,991 crore.

### MLI-wise Coverage


- 3.3 MLI-wise guarantee coverage for FY 2016 and cumulative guarantee cover as on March 31, 2016 is given in **Annexure-II**. During the year, the top five MLIs in terms of number of proposals covered under Credit Guarantee Scheme were Canara Bank (97,950 proposals for ₹ 2876 Crore), Bank of India (70,417 proposals for ₹ 2,884 Crore), Punjab National Bank (48,037 proposals for ₹ 1,416 crore), State Bank of India (42,724 proposals for ₹ 2,084 crore) and Syndicate Bank (33,473 proposals for ₹ 1,554 crore).



- 3.4 Cumulatively, as on March 31, 2016, State Bank of India has the highest coverage of (3,69,790 proposals for ₹17,783 crore), followed by Canara Bank (3,25,250 proposals for ₹ 10,146 crore), Bank of India (2,69,603 proposals for ₹ 15,738 crore), Punjab National Bank (1,86,613 proposals for ₹ 8,188 crore) and Indian Overseas Bank (1,22,129 proposals for ₹ 5,626 crore).

### State-wise Coverage

- 3.5 State-wise guarantee coverage for FY 2015-16 and cumulative guarantee cover as on March 31, 2016 is given in **Annexure-III**. Among the states, the maximum number of applications for which guarantee approved was for Tamil Nadu (56,472 proposals for ₹ 1,785 crore) during FY 2015-16, followed by Uttar Pradesh (52,739 proposals for ₹ 1,816 crore), Maharashtra (49,279 proposals for ₹ 2,551 crore), Karnataka (48,731 proposals for ₹ 2,345 crore) and Kerala (47,120 proposals for ₹ 933 crore).



- 3.6 The cumulative state-wise coverage under Credit Guarantee Scheme as on March 31, 2016 indicates that Uttar Pradesh has the highest share of proposals approved at 2,59,524 proposals for ₹ 10,737 crore, followed by Tamil Nadu (2,28,680 proposals for ₹ 8,925 crore), Kerala (2,16,706 proposals for ₹ 5,222 crore), Karnataka (2,01,792 proposals for ₹ 10,147 crore) and Maharashtra (1,71,446 proposals for ₹ 12,312 crore).

### Industry-wise Coverage

- 3.7 Sector wise analysis of the cases guaranteed during FY 2015-16 and cumulative as on March 31, 2016 under CGS is given in **Annexure-IV**.

### Slab-wise Coverage

- 3.8 The data on slab-wise coverage during FY 2016



and cumulative as on March 31, 2016 under CGS is given in **Annexure-V**. The majority of proposals approved during FY 2016 were in respect of smaller loans. 4,23,367 proposals for ₹ 5,914 Crore were in respect of loans up to ₹ 5 lakh accounting for 82% of the total guarantees approved in FY 2016 by way of numbers. Of the 5,13,978 proposals for ₹ 19,949 Crore approved in FY 2016; 2,44,943 proposals (48%) pertained to category having credit component up to ₹ 1 lakh, 90,867 proposals (18%) having credit component in the range of ₹ 1,00,001 to ₹ 2 lakh, 87,557 proposals (17%) in the range of ₹ 2,00,001 to ₹ 5 lakh, 53,712 proposals (10%) in the range of ₹ 5,00,001 to ₹ 10 lakh, 25,727 proposals (5%) in the range of ₹ 10,00,001 to ₹ 25 lakh, 7,892 proposals (2%) in the range of ₹ 25,00,001 to ₹ 50 lakh and 3,280 proposals (1%) in the above ₹ 50 lakh to ₹ 100 lakh category.

### Average size of loans covered

- 3.9 The overall average size of loans covered under the scheme has significantly reduced to ₹ 3.88 lakh during FY 2016 from the corresponding figure of ₹ 5.27 lakh in the previous year mainly on account of lesser number of guarantee applications received by the Trust from its MLIs for the credit facilities over ₹ 50 lakh since the share of MLIs in the risk in respect of these guarantees has been increased by the Trust to 50%.

### Claims Settlement & Closure

- 3.10 During FY 2015-16, 33,264 applications were received for invocation of guarantee and settlement of claims against the defaulting borrowers against which guarantees have been issued by CGTMSE and the guarantees were in force. Out of the applications lodged earlier and pending for settlement at the end of FY 2015 as well as applications received during FY 2016, claims in respect of 34,810 units have already been settled mainly for the first installment aggregating ₹ 1005 Crore. Cumulatively as on March 31, 2016, claims in respect of 1472 units have been rejected for ₹ 98.46 Crore and claims in respect of 354 units have been withdrawn by MLIs for ₹ 21.98 Crore.

### 3.11 Post claim settlement recoveries

The post claim settlement recoveries registered significant growth during FY 2015-16. The Trust received ₹ 58 crore on this account as against ₹ 31 crore received during FY 2014-15. The improvement is mainly on account of focused

attention given by the Trust to post claim settlement monitoring mechanism. The Trust expects the trend to continue.

### 4 Advance funds from Office of Development Commissioner (Handicrafts), [DC(HC)], Ministry of Textiles, Government of India

DC (Handicrafts) had placed advance funds of ₹ 2.80 Crore with CGTMSE for meeting the Guarantee Fee and Annual Service Fee for loans extended by MLIs to artisans in the handicraft sector. The funds placed by DC (Handicrafts) had almost been utilized by the Trust. An additional amount of ₹ 0.25 Crore was placed by DC (Handicrafts) with CGTMSE during FY 2016 for meeting the Guarantee Fee and Annual Service Fee for loans extended by MLIs to handicraft sector of North East Region of India. The utilization of the amount is yet to commence.

### 5 Advance funds from Office of Development Commissioner (Handlooms), [DC(HL)], Ministry of Textiles, Government of India

DC (Handlooms) had placed advance funds of ₹ 82.50 lakh during the FY 2011-12 for meeting the Guarantee Fee and Annual Service Fee for loans extended by MLIs to the artisans in handloom sector. The above amount of ₹ 82.50 lakh excludes an amount of ₹ 26.25 lakh received from DC(HL), Ministry of Textiles, Government of India on December 23, 2011 for enabling guarantee cover for handloom weavers of mega clusters of Varanasi and Murshidabad. As on March 31, 2016, CGTMSE had utilized ₹ 69.62 lakh out of the ₹ 82.50 lakh advance funds placed by DC (HL). The number of beneficiaries were 35,369.

### 6. Important developments during FY 2016:

#### 6.1 25th ACSIC Training Programme and 28th ACSIC Conference:

- 6.1.1 During the year, CGTMSE hosted 25th ACSIC Training Program under the banner of Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) in Mumbai. The theme of the programme was "Creating a Sustainable Credit Guarantee Organisation". In all 42 participants, including 33 delegates from 14 credit guarantee organisations from 10 member countries of ACSIC, besides India, attended the programme. The program's keynote address was given by Shri M.V. Tanksale, Chief Executive Officer, Indian Banks's Association. Total 14



presentations were made by the participating countries revolving around the theme of the programme. The discussions were very meaningful and added value to the programme. The programme was well appreciated by the participants.



Chairman, CGTMSE at 25th ACSIC Training Program, Mumbai

6.1.2 The undersigned along with the CEO, CGTMSE participated in the 28th Conference of Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) held at Bali, Indonesia, during November 15-20, 2015. The theme of the Conference was “measuring soundness and Key Performance Indicator (KPI) of Guarantee Corporation”. There were over 130 participants from 12 countries representing 16 guarantee organisations. The undersigned presented a case study on CGTMSE experience in India on the main theme of the Conference.



CEO, CGTMSE at 28th Conference of ACSIC at Bali, Indonesia

6.2 A delegation comprising officials from Credit Guarantee Corporations of Nepal and Egypt visited CGTMSE. The presentation on Credit Guarantee Scheme was made to the participants and the initiatives taken by the Trust in making the scheme sustainable were explained. The opportunity was also used in exploring the



A delegation from Credit Guarantee Corporations of Egypt

possibility of sharing CGTMSE's technology platform, for a fee, by the Credit Guarantee Organisations operating in these countries.

### 6.3 Study of CGTMSE by the Reserve Bank of India:

During the year, Reserve Bank of India (RBI) conducted study of the functioning of CGTMSE. The report of the study conducted by RBI, was forwarded by the Ministry of MSME, Govt. of India to CGTMSE for its response. While the impact created by the Credit Guarantee Scheme of CGTMSE in development of Micro and Small Sector in India was appreciated, RBI suggested number of measures to improve the long term sustainability of the Trust. The suggestions broadly included creation of regulatory framework and internal control mechanism, broad basing the sources of funds, risk mitigation measures for long term sustainability of the Trust, increasing the reach and extent of the scheme and process improvements etc. The CGTMSE has submitted its response to the Govt. of India. Actions on certain suggestions made by RBI on developing risk mitigation measures, process improvements etc. have already been initiated by the Trust.

### 7. Efforts made in developing sustainable credit guarantee model:

7.1 The Trust aim at making its Credit Guarantee Scheme a long term sustainable product. In this direction, the Trust initiated following risk mitigation measures:

7.1.1 The risk sharing by MLIs has been increased by limiting the extent of guarantee to 50% for all the credit facilities with higher deal size exceeding ₹ 50 lakh.



7.1.2 The criteria for registration of Regional Rural Banks as the Member Lending Institutions of CGTMSE has been made more selective.

7.1.3 The Trust had adopted uniform pricing structure for the last 15 years. However, in the background of significant increase in the number of NPAs marked in its portal by MLIs as also steep increase in actual claim settlement, the Trust introduced Differential Pricing Mechanism duly factoring the NPA percentage as recorded by MLIs with CGTMSE as also claim payout ratio.

7.1.4 The Inspection and post claim settlement and monitoring mechanism has been sharpened by the Trust with the help of representatives of the Trust stationed at 4 Mega Metros of the Country. As a sequel, the Trust has succeeded in recovering ₹ 58 crore from MLIs towards post claim settlement recovery during FY 2016 as against ₹ 31 crore in FY 2015.

## 8. Creating awareness about the Scheme:

8.1 The Trust participated in number of Seminars & Workshops organized by its MLIs, townhall/ MSME Empowered Committee Meetings organized by RBI with a view to disseminate information on developments in CGTMSE to the participants.



Workshop for MLIs of CGTMSE organised by SIDBI & SLBC at Jaipur

8.2 CGTMSE, in association with SITl, Bhubaneswar (SIDBI Training Institute) organized focused training programmes for operating officials of the banks. Such programmes are expected to be a periodical event.



Focused Training Programme in association with SIDBI SITl, Bhubaneswar by CGTMSE,

8.3 The Trust advised all its major MLIs as also National Institute of Bank Management and Indian Bank's Association to invariably include the session on CGTMSE, in its training centres, whenever the training programmes are held with MSME focus. CGTMSE offered to provide faculty support. The knowledge sharing should immensely benefit the MLI officers.

8.4 The Trust also published an updated booklet on its Scheme, inter-alia defining operational processes in detail and FAQs for the benefit of its MLIs. A booklet has been sent to each of the MLIs and the copy of the same has been posted on CGTMSE website.

## 9 Other initiatives taken by CGTMSE:

### 9.1 Introduction of Toll Free Number:

During the year, the Trust introduced its own toll free number to enable its MLIs to establish quick contact with the Trust. The initiative has been largely appreciated by the MLIs and has helped Trust in resolving MLI queries quickly.

### 9.2 Weeding out manual processes:

The software was tweaked with a view to automate some of the existing manual processes with the intention of improving service to the MLIs and reducing avoidable correspondence and paper flow. These processes include, upgradation of NPAs, passing on the recovery made by MLIs post settlement of claims to CGTMSE. The MLIs have appreciated these initiatives of the Trust. The software development to automate few more processes which are presently being handled manually, is in progress and is expected to be rolled out in early FY 17.



## 10. Overall impact of CGS operations

CGTMSE's operations had a positive impact on the economy in terms of turnover, exports and employment of credit guaranteed MSEs as given in the Table:

Particulars	Amount (₹ in Crore)
Opening balance as on April 01, 2015	1718.62
Less: Claim paid during the year	1004.73
Add: Provision made during the year	1020.73
Closing Balance as on March 31, 2016	1734.62

	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
Cumulative Guarantees approved (in Numbers)	23,23,673	18,17,245
Loan Amount (extended by MLIs) (₹ crore)	1,08,991	90,446
Estimated turnover of guaranteed units (₹ crore)	8,67,019	6,68,643
Estimated exports by guaranteed units (₹ crore)	7,291	6,769
Estimated employment generation (lakh number)	77.22	75.97
Number of MLIs	127@	133

@ Number reduced on account of amalgamation of RRB- MLIs as elaborated in para 2 of this report.

N.B.: Actuals may vary due to intervening cancellations / modifications.

## 11. Auditors

- 11.1 M/s. M. P. Chitale and Company, Mumbai, a firm of Chartered Accountants, was appointed as internal auditors of CGTMSE, for the FY 2015-16. The Auditors undertook a comprehensive review of the entire computer systems as also financial audit covering revenue expenses, investment and revenue income.
- 11.2 As recommended by the Comptroller and Auditor General of India, the Board appointed M/s. K. S. Sanghvi & Co., Mumbai, a firm of Chartered Accountants, as Statutory Auditors of CGTMSE for FY 2015-16.

## 12. Accounts

- 12.1. The Trust earned gross income of ₹ 1,036 Crore, comprising mainly Guarantee Fee (₹ 159.67 Crore) and Annual Guarantee and Service Fee (₹ 379.70 Crore), Interest earned on investments (₹ 439 Crore) and Recoveries from MLIs (₹ 58 Crore). Trust incurred an amount of ₹ 7 Crore (equal amount of ₹ 7 Crore previous year) towards various operational and administrative expenditure. Yearly provisioning is being made on the basis of actuarial valuation of liability of the Trust since FY 2009. The provision for claims has been evaluated by an Actuary by evolving regression equation between claims received and guarantees issued. Earlier, the provisioning was based on policy approved by the Board of Trustees (BoT) of CGTMSE. The details of the provision for FY 2015-16 are given below:

As on March 31, 2016, the cumulative provision is estimated at ₹ 1734.62 Crore. The excess of expenditure over income was ₹ 24 Crore (before payment of taxes) after provision for claims as per the Actuarial valuation.

- 12.2 During the year, the Trust received Corpus contribution from its settlers to the extent of ₹ 42.49 Crore. This, together with the corpus contributions already received, and the net income earned by the Trust so far, had been invested in FDs of banks / institutions. The size of the Corpus of the fund as on March 31, 2016 stood at ₹ 2,431.54 Crore. The total fund as on March 31, 2016 stood at ₹ 4,328.30 Crore (net of accrued interest) as against ₹ 4,529.08 Crore at the end of the previous year. The refundable Corpus as on March 31, 2016 is ₹ 4,811 Crore after adding the accrued interest component. During the year ended March 31, 2016, the cumulative guarantees issued amounted to ₹ 99403 crore.

## 13. Management & Organisation

- 13.1 The Board of Trustees during FY 2015-16 comprised of Chairman & Managing Director of SIDBI as ex-officio Chairman, Additional Secretary & Development Commissioner (MSME), Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Government of India as ex-officio Vice-Chairman, Chairman, Indian Banks' Association (IBA) as ex-officio member and Chief Executive Officer of CGTMSE as



Member Secretary. During FY 2015-16, three meetings of the Board of Trustees were held. As on March 31, 2016, five officers including the CEO were on deputation with CGTMSE from SIDBI.

13.2 The Board of Trustees of CGTMSE appreciates the support and cooperation received from Ministry of MSME, Government of India, Office of DC (MSME), SIDBI, RBI, IBA, MLIs of CGTMSE, World Bank, various National and State-level institutions and MSE Industry Associations.

---

**Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises**

**For and on behalf of the Board of Trustees**

**Place: Mumbai**  
**Date: August 25, 2016**

**Sd/-**  
**(Dr. Kshatrapati Shivaji)**  
**Chairman**



## ANNEXURE - I

### Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) Member Lending Institutions (MLIs) of CGTMSE as on 31 March, 2016 Total No. of MLIs - 127

#### (A) SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

##### (i) PUBLIC SECTOR BANKS (21 nos.)

- 1 Allahabad Bank
- 2 Andhra Bank
- 3 Bank of Baroda
- 4 Bank of India
- 5 Bank of Maharashtra
- 6 Bharatiya Mahila Bank Ltd.
- 7 Canara Bank
- 8 Central Bank of India
- 9 Corporation Bank
- 10 Dena Bank
- 11 IDBI Bank Limited
- 12 Indian Bank
- 13 Indian Overseas Bank
- 14 Oriental Bank of Commerce
- 15 Punjab & Sind Bank
- 16 Punjab National Bank
- 17 Syndicate Bank
- 18 UCO Bank
- 19 Union Bank of India
- 20 United Bank of India
- 21 Vijaya Bank

##### (ii) SBI AND ITS ASSOCIATE BANKS (6 nos.)

- 1 State Bank of India
- 2 State Bank of Bikaner & Jaipur
- 3 State Bank of Hyderabad
- 4 State Bank of Mysore
- 5 State Bank of Patiala
- 6 State Bank of Travancore

##### (iii) PRIVATE SECTOR BANKS (21 nos.)

- 1 Axis Bank Ltd.
- 2 Catholic Syrian Bank Ltd.
- 3 City Union Bank
- 4 Development Credit Bank Ltd.
- 5 HDFC Bank Ltd.
- 6 ICICI Bank Ltd.
- 7 IDFC Bank Ltd.
- 8 IndusInd Bank Ltd.
- 9 ING Vysya Bank Ltd.
- 10 Karnataka Bank Ltd.
- 11 Kotak Mahindra Bank Ltd.
- 12 Lakshmi Vilas Bank Ltd.
- 13 Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
- 14 The Dhanalakshmi Bank Ltd.
- 15 The Federal Bank Ltd.
- 16 The Jammu & Kashmir Bank Ltd.
- 17 The Karur Vysya Bank Ltd.
- 18 The Nainital Bank Ltd.
- 19 The Ratnakar Bank Ltd.
- 20 The South Indian Bank Ltd.
- 21 YES Bank Limited

##### (iv) FOREIGN BANKS (4 nos.)

- 1 Barclays Bank PLC
- 2 Bank of Bahrain and Kuwait
- 3 Deutsche Bank
- 4 Standard Chartered Bank



**(B) REGIONAL RURAL BANKS (66 nos.)**

1	Allahabad UP Gramin Bank	34	Nainital – Almora Kshetriya Gramin Bank
2	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	35	Narmada Malwa Gramin Bank
3	Andhra Pragathi Grameena Bank	36	Neelachal Gramya Bank
4	Aryavart Gramin Bank	37	Pallavan Gramin Bank
5	Assam Gramin Vikash Bank	38	Pandyan Grama Bank
6	Baitarani Gramya Bank	39	Parvatiya Gramin Bank
7	Ballia Etawah Gramin Bank	40	Pragathi Krishna Grameena Bank
8	Bangiya Gramin Vikash Bank	41	Prathama Bank
9	Baroda Gujarat Gramin Bank	42	Puduvai Bharathiar Grama Bank
10	Baroda Rajasthan Gramin Bank	43	Punjab Gramin Bank
11	Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank	44	Purvanchal Gramin Bank
12	Bihar Kshetriya Gramin Bank	45	Rajasthan Gramin Bank
13	Chaitanya Godavari Grameena Bank	46	Rewa Siddhi Gramin Bank
14	Chattisgarh Rajya Gramin Bank	47	Rushikulya Gramya Bank
15	Dena Gujarat Gramin Bank	48	Samastipur Kshetriya Gramin Bank
16	Hadoti Kshetriya Gramin Bank	49	Saptagiri Grameena Bank
17	Himachal Gramin Bank	50	Sarva Haryana Gramin Bank
18	Jaipur Thar Gramin Bank	51	Sarva UP Gramin Bank
19	Jammu & Kashmir Gramin Bank	52	Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank
20	Jharkhand Gramin Bank	53	Saurashtra Gramin Bank
21	Karnataka Vikas Grameena Bank	54	Sharda Gramin Bank
22	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	55	Shreyas Gramin Bank
23	Kaveri Grameena Bank	56	Sutlej Gramin Bank (SGB)
24	Kerala Gramin Bank	57	Telangana Gramin Bank
25	Langpi Dehangi Rural Bank	58	Tripura Gramin Bank
26	Madhya Bharat Gramin Bank	59	Triveni Kshetriya Gramin Bank
27	Madhya Bihar Gramin Bank	60	Uttar Bihar Gramin Bank
28	Maharashtra Godavari Gramin Bank	61	Uttaranchal Gramin Bank
29	Maharashtra Gramin Bank	62	Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank
30	Malwa Gramin Bank	63	Vananchal Gramin Bank
31	Meghalaya Rural Bank	64	Vidharbha Kshetriya Gramin Bank
32	MGB Gramin Bank	65	Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank
33	Mizoram Rural Bank	66	Wainganga Krishna Gramin Bank

**(C) LENDING INSTITUTIONS (9 nos.)**

1	Andhra Pradesh State Financial Corporation	6	North Eastern Development Finance Corporation Ltd.
2	Delhi Financial Corporation	7	Small Industries Development Bank of India
3	Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Ltd	8	The Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd.
4	Kerala Financial Corporation	9	Export Import Bank of India
5	National Small Industries Corporation Ltd.		

Note : Consequent upon amalgamation of number of Regional Rural Banks (RRBs) beginning FY 2012-13 at the instance of Ministry of Finance, Govt. of India, the total number of RRBs who had availed guarantee cover from CGTMSE reduced from 73 to 66 by the end of current FY.



## ANNEXURE - II

### Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) MLI-wise Guarantees approved during FY 2016 & Cumulative as on 31 March, 2016

S No.	MLI	Financial Year 2016		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
1	Allahabad Bank	14241	57425.23	75125	307789.61
2	Allahabad UP Gramin Bank	-	-	2759	5839.51
3	Andhra Bank	10414	20159.56	23427	74031.10
4	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	1608	867.39	4388	2569.24
5	Andhra Pradesh State Financial Corporation	15	571.10	67	2330.82
6	Andhra Pragathi Grameena Bank	3402	2670.53	6577	4752.92
7	Aryavart Gramin Bank	21	68.02	2191	8918.39
8	Assam Gramin Vikash Bank	-	-	8483	20324.90
9	AXIS Bank Limited	409	16829.22	1854	69082.84
10	Baitarani Gramya Bank	-	-	2097	7200.06
11	Ballia Etawah Gramin Bank	-	-	430	117.31
12	Bangiya Gramin Vikash Bank	5	5.85	2722	8661.09
13	Bank of Baroda	25765	127451.09	79661	568806.83
14	Bank of India	70417	288403.37	269603	1573802.12
15	Bank of Maharashtra	4260	20445.31	19155	140153.94
16	Baroda Gujarat Gramin Bank	-	-	132	866.10
17	Baroda Rajasthan Gramin Bank	1	2.85	46	376.40
18	Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank	253	683.63	3597	9841.14
19	Bharatiya Mahila Bank	497	3108.03	738	4646.36
20	Bihar Kshetriya Gramin Bank	-	-	845	2906.28
21	Canara Bank	97950	287607.33	325250	1014626.66
22	Central Bank of India	6910	34399.70	66710	398418.02
23	Chaitanya Godavari Grammena Bank	3	31.80	69	92.78
24	Chattisgarh Rajya Gramin Bank	1234	366.58	5438	3896.12
25	City Union Bank	118	1237.09	1314	12563.38
26	Corporation Bank	13222	49238.84	43481	262662.70
27	Delhi Financial Corporation	-	-	634	1455.03
28	Dena Bank	5066	20156.47	21089	107596.56
29	Dena Gujarat Gramin Bank	30	75.58	202	523.86
30	Deutsche Bank	1404	41559.64	5195	158719.64
31	Durg Rajnandgaon Gramin Bank	260	72.20	-	-



S No.	MLI	Financial Year 2016		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
32	Export Import Bank of India	3	135.00	15	563.00
33	Hadoti Kshetriya Gramin Bank	-	-	44	180.60
34	HDFC Bank Limited	1553	48253.35	4110	117260.45
35	Himachal Gramin Bank	-	-	631	6172.52
36	ICICI Bank	47	1440.09	851	5496.14
37	IDBI Bank Ltd	-	-	2827	55339.05
38	Indian Bank	13257	35381.60	31704	92223.47
39	Indian Overseas Bank	17480	73994.27	122129	562579.27
40	IndusInd Bank	-	-	4	60.88
41	ING Vysya Bank Ltd	4	300.00	105	3084.78
42	J & K Grameen Bank	5	22.17	20	109.28
43	Jaipur Thar Gramin Bank	-	-	1116	292.67
44	Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited	2	45.00	2	45
45	Jharkhand Gramin Bank	-	-	404	1857.09
46	Karnataka Bank Ltd	4454	25088.80	21154	107940.24
47	Karnataka Vikas Grameena Bank	350	1086.76	13446	27483.51
48	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	-	-	2809	6108.13
49	Kaveri Grameena Bank	125	384.88	255	817.56
50	Kerala Financial Corporation	-	-	266	2508.06
51	Kerala Gramin Bank	791	625.40	18781	28783.09
52	Kotak Mahindra Bank	26	1303.50	137	5103.77
53	Lakshmi Vilas Bank	130	2233.54	193	2888.96
54	Langpi Dehangi Rural Bank	-	-	538	1212.19
55	Madhya Bharat Gramin Bank	-	-	49	73.77
56	Madhya Bihar Gramin Bank	-	-	855	3176.56
57	MGB Gramin Bank	-	-	93	158.02
58	Mizoram Rural Bank	-	-	423	1452.93
59	Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank	-	-	11	66.26
60	Narmada Malwa Gramin Bank	-	-	91	240.40
61	National Small Industries Corporation Ltd	-	-	176	1458.57
62	Neelachal Gramya Bank	-	-	5633	18921.19
63	North Eastern Development Finance Corporation Ltd	-	-	14	240.50
64	Oriental Bank of Commerce	5593	34573.34	24476	217111.93

S No.	MLI	Financial Year 2016		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
65	Pallavan Grama Bank	379	181.44	581	237.28
66	Pandyan Grama Bank	887	1114.70	2642	3290.92
67	Parvatiya Gramin Bank	-	-	332	1814.16
68	Pragathi Krishna Grameena Bank	2456	2012.42	2716	2220.73
69	Prathama Bank	-	-	3609	10474.68
70	Punjab & Sind Bank	7206	11764.43	12889	40408.26
71	Punjab National Bank	48037	141619.15	186613	818756.75
72	Purvanchal Gramin Bank	-	-	14966	23702.35
73	Rajasthan Gramin Bank	-	-	136	517.01
74	Rushikulya Gramya Bank	-	-	9	41.86
75	Samastipur Kshetriya Gramin Bank	-	-	309	964.07
76	Sarva Haryana Gramin Bank	257	477.31	1424	2793.16
77	Sarva UP Gramin Bank	859	570.15	3644	3575.05
78	Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank	-	-	433	833.48
79	Saurashtra Gramin Bank	4	29.00	187	1311.52
80	Sharda Gramin Bank	-	-	64	216.71
81	Shreyas Gramin Bank	-	-	157	286.20
82	Small Industries Development Bank of India	96	4623.49	5643	127476.74
83	Standard Chartered Bank	179	6340.16	1365	33900.40
84	State Bank of Bikaner & Jaipur	4297	23018.28	24278	84661.04
85	State Bank of Hyderabad	5208	21499.14	16559	73703.56
86	State Bank of India	42724	208400.17	369790	1778298.58
87	State Bank of Mysore	2727	19196.03	16859	110534.58
88	State Bank of Patiala	3484	19671.50	19327	131713.35
89	State Bank of Travancore	6451	25846.94	30580	122842.11
90	Surguja Kshetriya Gramin Bank	455	120.91	-	-
91	Sutlej Gramin Bank	61	19.19	74	26.19
92	Syndicate Bank	33473	155412.98	90147	438247.36
93	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	462	2434.38	1376	12605.55
94	Telangana Gramin Bank	131	161.40	199	406.97
95	The Bank of Rajasthan Ltd	-	-	45	10.81
96	The Dhanalakshmi Bank Limited	29	267.84	92	1812.08
97	The Federal Bank Ltd	-	-	5109	26686.04



S No.	MLI	Financial Year 2016		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
98	The Jammu & Kashmir Bank Ltd	6738	9600.59	42244	54323.41
99	The Karur Vysya Bank Ltd	31	809.07	185	3510.07
100	The Nainital Bank Ltd	75	204.90	477	4052.79
101	The South Indian Bank Limited	109	1012.92	296	2454.45
102	The Tamilnadu Industrial Investment Corporation Limited	-	-	2717	5000.64
103	Tripura Gramin Bank	-	-	489	1149.74
104	Triveni Kshetriya Gramin Bank	-	-	4	45.35
105	UCO Bank	10029	26969.55	63751	261769.41
106	Union Bank of India	31330	78040.16	108202	326614.51
107	United Bank of India	-	-	44853	192961.86
108	Uttar Bihar Gramin Bank	637	1443.19	1119	2630.02
109	Uttaranchal Gramin Bank	-	-	588	2788.01
110	Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank	-	-	1055	1470.95
111	Vananchal Gramin Bank	-	-	2642	7094.69
112	Vidharbha Kshetriya Gramin Bank	-	-	275	610.75
113	Vijaya Bank	3838	33513.03	15358	126556.24
114	Wainganga Krishna Gramin Bank	-	-	545	3581.13
115	Yes Bank Ltd	4	260.00	78	3520.50
	<b>TOTAL</b>	<b>513978</b>	<b>1994938.53</b>	<b>2323673</b>	<b>10899085.62</b>

N.B.: Actuals may vary due to intervening cancellations / modifications

## ANNEXURE - III

**Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)**  
**State Wise Report of Guarantees Approved during FY 2016 & Cumulative as on 31 March, 2016**

S No.	State/Union Territory Name	Financial Year 2016		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
1	Andaman & Nicobar	385	1874.41	1828	9137.85
2	Andhra Pradesh	18627	39291.51	75186	206506.49
3	Arunachal Pradesh	1482	5769.65	5937	27553.05
4	Assam	13543	37875.25	81822	271859.28
5	Bihar	19878	87710.09	119129	500767.68
6	Chandigarh	1246	4500.48	5036	32027.95
7	Chhattisgarh	9468	28249.71	31894	166893.69
8	Dadra & Nagar Haveli	100	2370.24	427	10073.93
9	Daman & Diu	76	2517.82	366	9073.38
10	Delhi	10899	62316.42	26989	281193.51
11	Goa	2736	12553.56	14833	90877.52
12	Gujarat	18636	121052.12	91977	766184.64
13	Haryana	7896	40010.47	29941	217156.1
14	Himachal Pradesh	7533	29140.09	42135	228562.4
15	Jammu & Kashmir	10005	24237.84	58810	124679.83
16	Jharkhand	18935	89855.68	92606	538374.65
17	Karnataka	48731	234510.86	201792	1014726.58
18	Kerala	47120	93279.02	216706	522204.52
19	Laksha Deep	88	266.51	296	803.42
20	Madhya Pradesh	22150	101546.21	79831	415358.02
21	Maharashtra	49279	255116.71	71446	1231189.44
22	Manipur	849	2762.34	5436	16845.79
23	Meghalaya	976	3136.02	6915	31177.94
24	Mizoram	569	1482.12	3357	12592.31
25	Nagaland	1765	4114.69	5203	17540.71
26	Orissa	19060	71016.57	110418	453109.45
27	Pondicherry	1261	2586.61	3775	13410.58
28	Punjab	15016	48574.64	50090	283042.11
29	Rajasthan	14796	58028.61	75549	364054.75
30	Sikkim	335	1587.85	1797	7358.96
31	Tamilnadu	56472	178490.89	228680	892498.4
32	Telangana	14636	57896.97	43642	238391.53
33	Tripura	1512	3842.07	9433	32082.39
34	Uttar Pradesh	52739	181552.29	259524	1073688.96
35	Uttarakhand	7387	27718.70	30150	151100.84
36	West Bengal	17792	78103.54	140717	646986.97
<b>TOTAL</b>		<b>513978</b>	<b>1994938.53</b>	<b>2323673</b>	<b>10899085.62</b>

N.B.: Actuals may vary due to intervening cancellations / modifications

**ANNEXURE - IV**
**Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)**  
**Sector-wise Guarantees Approved during FY 2016 & Cumulative as on 31 March, 2016**

S No.	Sector Name	Financial Year 2016		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
1	MANUFACTURING SSI	129154	749443.60	759245	4933566.95
2	null	424	7942.99	92152	303675.75
3	MANUFACTURING	1	19.60	7	86.15
4	Coffee, Tea, Mate and Spices	553	888.19	553	888.19
5	Fish and Crustaceans, Molluscs and other Aquatic Invertebrates	52	184.27	52	184.27
6	Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof	8015	44776.64	8015	44776.64
7	Preparations of Vegetables, Fruit, Nuts or Other Parts of Plants	128	439.82	128	439.82
8	Residues and Waste from the Food Industries Prepared Animal Fodder	10	200.10	10	200.10
9	Carpets and other textile floor coverings	150	327.87	150	327.87
10	Products of the Milling Industry Malt Starches Inulin Wheat Gluten	98	346.94	98	346.94
11	Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal parts thereof of base metal	79	551.32	79	551.32
12	Fertilisers	33	280.28	33	280.28
13	Aluminium and Articles thereof	86	813.48	86	813.48
14	Salt Sulphur Earths & Stone Plastering Materials Lime & Cement	43	429.95	43	429.95
15	Silk	300	260.73	300	260.73
16	Live trees and other Plants Bulb, Roots and the like Cut flowers and Ornamental Foliage	43	97.29	43	97.29
17	Albuminoidal substances Modified Starches Glues Enzymes	1	4.00	1	4.00
18	Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down artificial flowers articles of human hair	26	25.10	26	25.10
19	Zinc and Articles thereof	2	8.80	2	8.80
20	Clocks and watches and parts thereof	11	14.45	11	14.45
21	SSSBE	357892	1113867.25	1437586	5472159.06
22	Miscellaneous manufactured articles	675	3689.30	675	3689.30
23	Paper and paperboard articles of Paper pulp, of paper or of paperboard	247	1567.02	247	1567.02



S No.	Sector Name	Financial Year 2016		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
24	Works of Art, Collectors Pieces & Antiques	88	185.01	88	185.01
25	Animal or Vegetable Fats and Oils and their Cleavage Products Prepared Edible Fats Animal or Vegetable Waxes	24	191.61	24	191.61
26	Footwear, gaiters and the like parts of such articles	243	1249.24	243	1249.24
27	Copper and articles thereof	23	225.63	23	225.63
28	Lead and Articles thereof	3	73.00	3	73.00
29	Optical, Photographic, Cinematographic, measuring, checking, precision, medical, surgical instruments, apparatus parts and accessories	319	1719.11	319	1719.11
30	Other made up textile articles sets worn clothing and worn textile articles rags	332	1148.60	332	1148.60
31	Products of Animal Origin, not elsewhere specified or included	13	98.20	13	98.20
32	Pharmaceutical Products	93	1147.92	93	1147.92
33	Vegetable Plaiting Materials Vegetable Products not elsewhere specified or included	26	76.43	26	76.43
34	Cotton	208	551.56	208	551.56
35	Other Base metals Cermets articles thereof	42	253.47	42	253.47
36	Ores, Slag and Ash	6	62.54	6	62.54
37	Articles of leather saddlery and harness travel goods, handbags and similar containers articles of animal gut other than silk-worm gut	71	594.63	71	594.63
38	Preparations of Meat, of Fish or of Crustaceans, Molluscs or Other Aquatic Invertebrates	19	18.97	19	18.97
39	Railway or tramway locomotives, rolling-stock, tramway-track-fixtures, fittingsand-parts, mechanical, electro-mechanical-traffic-signalling-equipment	8	248.65	8	248.65
40	Cereals	140	1099.02	140	1099.02
41	Special woven fabrics tufted textile fabrics lace tapestries trimmings embroidery	381	1115.28	381	1115.28
42	Ceramic Products	104	614.58	104	614.58
43	Beverages, Spirits and Vinegar	112	803.48	112	803.48
44	Meat and Edible Meat Offal	86	160.36	86	160.36
45	Ships, Boats and Floating Structures	11	37.50	11	37.50
46	Raw Hides and Skins other than furskins and leather	7	162.90	7	162.90

S No.	Sector Name	Financial Year 2016		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
47	Explosives Pyrotechnic products Matches Pyrophoric Alloys certain combustible preparations	6	13.43	6	13.43
48	Umbrellas, sun umbrellas, walking sticks, seat-sticks, whips, riding-crops, and parts thereof	4	5.66	4	5.66
49	Project Imports Laboratory Chemicals Passengers Baggage Personal importations by Air or Post Ship Stores	13	141.06	13	141.06
50	IT AND SOFTWARE	1749	13079.30	9925	79011.91
51	Iron and Steel	315	1854.73	315	1854.73
52	Miscellaneous Edible Preparations	1976	4085.91	1976	4085.91
53	Cork and Articles of Cork	2	40.00	2	40.00
54	Preparations of Cereals, Flour, Starch or Milk Pastry Cooks Products	513	1730.59	513	1730.59
55	Articles of Iron or Steel	655	3439.26	655	3439.26
56	Mineral Fuels, Mineral Oils and Products of their Distillation Bituminous Substances Mineral Waxes	20	279.89	20	279.89
57	Photographic or Cinematographic Goods	301	684.68	301	684.68
58	Soap, Organic Surface Active Agents, Washing Preparations, Lubricating Preparations, Artificial Waxes	194	471.82	194	471.82
59	Miscellaneous articles of base metal	123	701.74	123	701.74
60	Tanning or Dyeing Extracts Tannins and their Derivatives Dyes, Pigments, Colouring Matter, Paints, Varnishes Putty, other Mastics Inks	59	449.60	59	449.60
61	Glass and Glassware	67	236.62	67	236.62
62	Live Animals	29	63.52	29	63.52
63	Furskins and artificial fur manufactures thereof	2	2.85	2	2.85
64	Edible Vegetables and Certain Roots and Tubers	79	68.03	79	68.03
65	Aircraft, Spacecraft and parts thereof	3	17.60	3	17.60
66	Arms and Ammunition Parts and Accessories thereof	3	17.75	3	17.75
67	Cocoa and Cocoa Preparations	6	38.90	6	38.90
68	Wood and Articles of Wood Wood Charcoal	634	1989.65	634	1989.65
69	Furniture, Bedding, Mattresses, Mattress supports, cushions and similar stuffed furnishing, lamps, lighting fittings, prefabricated buildings	559	2171.49	559	2171.49

S No.	Sector Name	Financial Year 2016		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
70	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted	1384	2758.69	1384	2758.69
71	Electrical machinery and equipment, sound recorders, reproducers, television image, sound recorders, reproducers, parts	795	2365.73	795	2365.73
72	Knitted or crocheted fabrics	315	878.18	315	878.18
73	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material recovered waste and scrap of paper or paperboard	18	199.07	18	199.07
74	Sugars and Sugar Confectionery	116	376.29	116	376.29
75	Essential Oils and Resinoids Perfumery Cosmetics or Toilet Preparations	136	426.83	136	426.83
76	Man-made staple fibres	19	61.30	19	61.30
77	Man-made Filaments	16	248.17	16	248.17
78	Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes	296	143.70	296	143.70
79	Musical instruments parts and accessories or such articles	71	144.11	71	144.11
80	Edible Fruit and Nuts Peel of Citrus Fruit or Melons	100	480.66	100	480.66
81	Other vegetable textile fibres paper yarn and woven fabrics of paper yarn	112	175.32	112	175.32
82	Manufactures of Straw, of esparto or of other plaiting materials basketware and wickerwork	55	100.14	55	100.14
83	Inorganic Chemicals Organic or Inorganic Compounds of Precious Metals, of Rare-Earth Metals, of Radioactive Elements or of Isotopes	6	109.59	6	109.59
84	Plastics and articles thereof	308	3651.29	308	3651.29
85	Articles of apparel and clothing accessories not knitted or crocheted	654	1262.22	654	1262.22
86	Printed books, Newspapers, Pictures and other products of the printing industry Manuscripts, Typescripts and Plans	644	4037.51	644	4037.51
87	Natural or cultured pearls, precious, semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, articles imitation jewellery coin	204	455.57	204	455.57
88	Tin and Articles thereof	9	102.67	9	102.67
89	Miscellaneous Chemical Products	57	1027.75	57	1027.75
90	Headgear and parts thereof	3	3.00	3	3.00



S No.	Sector Name	Financial Year 2016		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
91	Wool, fine or coarse animal hair, horse hair yarn and woven fabric	120	88.18	120	88.18
92	Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials	367	2756.90	367	2756.90
93	Birds Eggs Natural Honey Edible Products of Animal Origin	39	124.91	39	124.91
94	Oil Seeds and Oleaginous Fruits Miscellaneous Grains, Seeds and Fruit Industrial or Medicinal Plants Straw and Fodder	116	869.98	116	869.98
95	Rubber and Articles thereof	118	1107.99	118	1107.99
96	Toys, Games and Sports Requisites Parts and Accessories thereof	108	377.46	108	377.46
97	Organic Chemicals	20	111.78	20	111.78
98	Wadding, felt and nonwovens special yarns twine, cordage, ropes and cables and articles thereof	16	298.79	16	298.79
99	Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliance parts thereof	43	507.49	43	507.49
100	Lac Gums, Resins and other Vegetable Saps and Extracts	7	27.86	7	27.86
101	Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics Textile articles of a kind suitable for industrial use	12	58.71	12	58.71
<b>TOTAL</b>		<b>513978</b>	<b>1994938.53</b>	<b>2323673</b>	<b>10899085.62</b>

N.B.: Actuals may vary due to intervening cancellations / modifications

**ANNEXURE - V**
**Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)**  
**Slab-wise Guarantees Approved during FY 2016 & Cumulative as on 31 March, 2016**

S No.	Range	Financial Year 2016		Cumulative as on March 2016	
		No. of Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	No. of Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
1	Upto 100,000/-	244943	115562.14	856238	421561.36
2	100,001 to 200,000/-	90867	150396.66	523863	810556.04
3	200,001 to 500,000/-	87557	325471.45	474802	1723195.89
4	500,001 to 10,00,000/-	53712	407981.31	238585	1827469.82
5	10,00,001 to 25,00,000/-	25727	449688.86	163878	2822476.20
6	25,00,001 to 50,00,000/-	7892	295712.97	46180	1751630.18
7	50,00,001 to 100,00,000/-	3280	250125.14	20127	1542196.13
<b>TOTAL</b>		<b>513978</b>	<b>1994938.53</b>	<b>2323673</b>	<b>10899085.62</b>

N.B.: Actuals may vary due to intervening cancellations / modifications









# Statement of Accounts 2015-2016



# Auditor's Report

**K S Sanghvi**

B.Com (Hon) LLB FCA

**H A Doshi**

B.Com FCA

**S B Shethia**

B.Com FCA

**T K Sanghvi**

B.Com, ACA, DISA (ICAI)

**K S Sanghvi & Co**  
**Chartered Accountants**

A - 218 / 219, Kanara Business Centre, Laxmi Nagar,  
Ghatkopar Andheri, Link Road, Behind Everest Garden,  
Ghatkopar (E), Mumbai 400 075  
Tel.No.2500 4144\* 2500 4334  
Fax: 91-22-2500 6024  
e-mail:kssco@vsnl.com; kssco@mtnl.net.in

=====

To  
The Board of Trustees  
Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises  
Mumbai

1. We have audited the attached Balance Sheet of Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises as at 31 Mar 2016, the Income and Expenditure Account and the Cash Flow Statement for the year then ended. The financial statements are the responsibility of the Trust's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with the Accounting Standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and the significant estimates made by the Management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. We report that
  - a. We have obtained all the necessary information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit, except information on the ASF Refundable amount aggregating to Rs 17,04,348 due to system issues.
  - b. In our opinion, proper books of accounts, as required by law, have been kept by the Trust so far as it appears from our examination of those books
  - c. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and the Cash Flow Statement dealt with by the report are in agreement with the books of accounts.
  - d. In our opinion, the financial statements, read together with the notes thereon, give true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.
    - i. In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Trust as at 31 Mar 2016
    - ii. In the case of Income and Expenditure Account, of the excess of income over expenditure of the Trust for the year ended on that date.
    - iii. In the case of Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

**For K S Sanghvi & Co**

Chartered Accountants

Firm Registration Number: 116714W

Tapan Sanghvi

Partner

Membership Number: 122244

Place: Mumbai

Date: August 25, 2016

B A L A N C E S H E E T
**Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)**  
**Balance Sheet as on March 31, 2016**

Particulars	Schedules	As on 31.03.2016		As on 31.03.2015	
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
<b>Sources of Funds</b>					
Corpus Fund	1		33,75,25,38,951		33,24,90,11,021
General Reserve	2		74,20,662		74,61,100
Current Liabilities & Provisions	3		18,20,71,11,289		18,20,63,94,738
<b>Total</b>			51,96,70,70,902		51,46,28,66,859
<b>Application of Funds</b>					
<b>Fixed Assets</b>					
Computer & Software		1,84,83,034		1,74,33,941	
Less : Depreciation Reserve		1,79,82,785	5,00,249	1,73,98,631	35,310
Furniture & Fixture		12,37,595		11,46,386	
Less : Depreciation Reserve		12,08,022	29,573	3,20,721	8,25,665
Motor Car		12,66,029		12,66,029	
Less : Depreciation Reserve		5,06,410	7,59,619	2,53,205	10,12,824
Electrical Items		11,85,559		9,83,718	
Less : Depreciation Reserve		8,54,270	3,31,289	3,50,551	6,33,167
			16,20,730		25,06,966
<b>Investments</b>	4		48,11,62,64,596		48,05,53,30,745
<b>Current Assets</b>					
Cash in hand			3,066		4,826
Bank Balance	5		23,05,602		48,37,746
Accrued Income	6		45,76,016		1,13,70,961
Receivable	7		20,03,99,992		18,36,41,463
Deposits (Rent)			70,20,000		70,20,000
Advance Payment of Gurantee Claims			8,81,887		4,45,961
Amount Recoverable from Tax Authorities	8		3,63,39,99,013		3,19,77,08,191
<b>TOTAL</b>			51,96,70,70,902		51,46,28,66,859
Notes forming parts of Accounts	10		-		0

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

THE ABOVE BALANCE SHEET TOGETHER WITH SCHEDULES  
ANNEXED THERETO IS HEREBY AUTHENTICATED BY US.

For K.S. Sanghvi & Company  
Chartered Accountants  
ICAI Firm Reg. No.116714W

On behalf of the Board of Trustees

(Tapan Sanghvi, M.No.122244)  
Partner

Sd/-  
(Dr. Kshatrapati Shivaji)  
Chairman

Place: Mumbai  
Date: August 25, 2016

(S.N. Tripathi)  
Vice Chairman

(Pradeep Malgaonkar)  
Member Secretary



I N C O M E   A N D   E X P E N D I T U R E
**Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)**  
**Income and Expenditure Account for the Year Ended March 31, 2016**

Particulars	Schedules	Amount in (₹)	
		FY 2015-16	FY 2014-15
<b>INCOME</b>			
Interest on Investments		4,38,28,38,703	4,39,53,47,923
Guarantee Fee		1,59,66,81,636	1,66,82,67,743
Annual Guarantee Fee		2,28,34,82,760	84,27,18,079
Annual Service Fee		1,51,35,26,869	2,13,74,36,840
Miscellaneous Income		8,01,092	8,60,859
Penal Interest Income		5,41,951	85,425
Recoveries by MLI's on Claim paid account		57,93,65,872	31,49,69,463
		<b>10,35,72,38,883</b>	<b>9,35,96,86,332</b>
<b>EXPENDITURE</b>			
Operating and other Administrative Expenses	9	6,87,33,326	6,85,77,487
Provision for Guarantee claims		10,20,73,00,000	11,08,03,00,000
Interest on Service Tax Paid		3,11,109	2,87,064
Bank Charges		13,139	-
Depreciation		22,28,379	11,86,710
		<b>10,27,85,85,953</b>	<b>11,15,03,51,261</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>		<b>7,86,52,930</b>	<b>(1,79,06,64,929)</b>
Add / (Less) : Prior period items		-	-
Add / (Less) : Excess Provision w/back		-	-
<b>Surplus before tax</b>		<b>7,86,52,930</b>	<b>(1,79,06,64,929)</b>
Less: Provisions for Income tax		-	-
<b>Surplus after tax</b>		<b>7,86,52,930</b>	<b>(1,79,06,64,929)</b>
Less: General Reserve		-	-
<b>Surplus of Income over Expenditure carried to Corpus Fund</b>		<b>7,86,52,930</b>	<b>(1,79,06,64,929)</b>
Notes forming parts of Accounts	10	-	-

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

 THE ABOVE INCOME & EXPENDITURE A/C TOGETHER  
 WITH SCHEDULES ANNEXED THERETO IS HEREBY  
 AUTHENTICATED BY US.

 For K.S. Sanghvi & Company  
 Chartered Accountants  
 ICAI Firm Reg. No.116714W

On behalf of the Board of Trustees

 (Tapan Sanghvi, M.No.122244)  
 Partner

 Sd/-  
 (Dr. Kshatrapati Shivaji)  
 Chairman

 Place: Mumbai  
 Date: August 25, 2016

 (S.N. Tripathi)  
 Vice Chairman

 (Pradeep Malgaonkar)  
 Member Secretary

## C A S H F L O W S T A T E M E N T

**Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)**  
**Cash Flow Statement for the Year Ended March 31, 2016**

Amount in (₹)

Particulars	31 Mar 2016	31 Mar 2016	31 Mar 2015	31 Mar 2015
<b>Cash flow from Operating Activities</b>				
Excess of expenditure over income, before tax as per Income and Expenditure Statement		7,86,52,930		(1,79,06,64,929)
Add: Depreciation debited to Income and Expenditure Account	22,28,379		11,86,710	
Interest paid on service tax	3,11,109		2,87,064	
Provision on guarantee claims debited to Income and Expenditure Account	10,20,73,00,000		11,08,03,00,000	
Less: Interest on investments	(4,38,28,38,703)		4,39,53,47,923	
		5,82,70,00,785		6,68,64,25,851
Cash flow before changes in working capital		5,90,56,53,715		4,89,57,60,922
<b>Changes in working capital</b>				
(Increase)/decline in accrued income	67,94,945		4,64,04,509	
(Increase)/decline in receivable	(1,67,58,529)		13,89,54,355	
(Increase)/decline in deposits	-		(70,20,000)	
(Increase)/decline in advance payment of guarantee claims	(4,35,926)		16,02,78,354	
(Increase)/decline in amount recoverable from tax authorities	3,94,477		(51,48,14,555)	
Increase/ (decline) in current liabilities	(15,91,98,295)		8,16,54,825	
		(16,92,03,328)		(9,45,42,512)
<b>Changes in cash flow after changes in working capital</b>		5,73,64,50,387		4,80,12,18,410
Less: Claims paid during the year	(10,04,73,85,154)		(7,23,60,77,959)	
Advance tax paid	(43,66,85,299)		(43,96,00,371)	
		(10,48,40,70,453)		(7,67,56,78,330)
<b>Net Cash Flow Generate From Operating Activities (A)</b>		(4,74,76,20,066)		(2,87,44,59,920)
<b>Cash flow from Investing Activities</b>				
Acquisition of fixed assets during the year	(13,42,143)		(36,90,009)	
Addition to investments during the year	(6,09,33,851)		(2,48,05,94,009)	
<b>Net Cash Flow Used In Investing Activities (B)</b>		(6,22,75,994)		(2,48,42,84,018)
<b>Cash flow from Financing Activities</b>				
Increase in corpus fund during the year	42,48,75,000		93,73,75,000	
Changes in general reserve	(40,438)		(1,52,345)	
Interest on service tax paid	(3,11,109)		(2,87,064)	
Interest income on investments	4,38,28,38,703		4,39,53,47,923	
<b>Net Cash Flow Generated From Financing Activities (C)</b>		4,80,73,62,156		5,33,22,83,514
<b>Net Increase in Cash Flow During The Year (A) + (B) + (C)</b>		(25,33,904)		(2,64,60,424)
Opening balance of Cash and Cash Equivalents		48,42,572		3,13,02,996
<b>Closing balance of Cash and Cash Equivalents</b>		23,08,668		48,42,572

## Notes:

1 Cash and Cash Equivalents include cash and bank balance

2 Figures in brackets indicate cash outflow

3 The Cash and Cash Equivalents as at 31 Mar 2016 comprise the following

	31 Mar 2016	31 Mar 2015
Cash	3,066	4,826
Bank balance	23,05,602	48,37,746
<b>Total</b>	<b>23,08,668</b>	<b>48,42,572</b>

4 Figures of previous year have been regrouped, wherever necessary.

The above cash flow statement is prepared as per our report of even date.

For K.S. Sanghvi & Company  
Chartered Accountants  
ICAI Firm Reg. No.116714W

(Tapan Sanghvi, M.No.122244)  
Partner

Place: Mumbai  
Date: August 25, 2016

On behalf of the Board of Trustees

Sd/-  
(Dr. Kshatrapati Shivaji)  
Chairman

(S.N. Tripathi)  
Vice Chairman

(Pradeep Malgaonkar)  
Member Secretary

## S C H E D U L E

**Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)**  
**Schedules Forming Part of the Balance Sheet as on 31st March, 2016**

Particulars	As on 31.03.2016 (₹)	As on 31.03.2015 (₹)
<b><u>Schedule : 1</u></b>		
<b>Corpus Fund</b>		
Received from :		
Government of India	19,35,97,33,000	19,11,23,33,000
SIDBI	4,95,55,58,250	4,77,80,83,250
(Including the Corpus of ₹ 25,00,00,000/- & ₹ 7,77,50,000/- for RSF 1 & 2 respectively)		
(a)	<b>24,31,52,91,250</b>	<b>23,89,04,16,250</b>
Surplus of Income over expenditure		
Balance b/f	9,35,85,94,771	11,14,92,59,700
Add: Surplus of Current year	7,86,52,930	(1,79,06,64,929)
(b)	<b>9,43,72,47,701</b>	<b>9,35,85,94,771</b>
(a + b)	<b>33,75,25,38,951</b>	<b>33,24,90,11,021</b>
<b><u>Schedule : 2</u></b>		
<b>Genral Reserve</b>		
<b>Balance B/f</b>	74,61,100	76,13,445
Add:- Transfer from Income and Expenditure A/c	-	-
Less:- Prior period Items	(40,438)	(1,52,345)
	<b>74,20,662</b>	<b>74,61,100</b>
<b><u>Schedule : 3</u></b>		
<b>Current Liabilities and Provisions</b>		
Provision towards Guarantee claims (also see Note no 8 in Schedule 10)	17,34,61,54,693	17,18,62,39,847
Outstanding Liabilities towards expenses	33,79,602	58,91,884
Amount Reimbursable To SIDBI	29,81,737	26,10,322
Guarantee Claim Payable	5,11,18,608	6,91,90,535
TDS Payable	6,77,281	11,95,468
Profession Tax Payable	700	300
Insurance Claim received from LIC	-	2,00,000
Guarantee Fee Refundable	13,66,171	68,27,663
Annual Services Fee Refundable	6,47,65,855	21,07,12,647
Advance recd. towards GF & ASF from D C (Handicraft & Handloom), GOI	52,61,034	31,92,978
Advance recd. towards AGF	72,99,83,894	71,54,25,987
Service Tax Payable	9,90,530	3,708
Receipts Pending Appropriation	4,31,184	49,03,399
	<b>18,20,71,11,289</b>	<b>18,20,63,94,738</b>
<b><u>Schedule : 4</u></b>		
<b>Investments</b>		
1) Investment in Fixed Deposits with Banks		
i) Investment of D C (Handicraft & Handloom), GOI Advance	35,38,533	15,29,700
ii) Investment of Corpus & other Funds	48,06,22,46,063	48,04,44,01,045
2) Investment with IDBI under DIS	5,04,80,000	94,00,000
	<b>48,11,62,64,596</b>	<b>48,05,53,30,745</b>
<b><u>Schedule : 5</u></b>		
<b>Bank Balance</b>		
Current Accounts with:		
IDBI Bank Ltd.,	20,16,701	46,16,901
IDBI Bank Ltd., - D C (Handicraft), GOI	-	24,140
IDBI Bank Ltd., - D C (Handloom), GOI	2,88,901	1,96,705
	<b>23,05,602</b>	<b>48,37,746</b>



## S C H E D U L E

**Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)**  
**Schedules Forming Part of the Balance Sheet as on 31st March, 2016**

Particulars	As on 31.03.2016 (₹)	As on 31.03.2015 (₹)
<b><u>Schedule : 6</u></b>		
<b>Accrued Income</b>		
Annual Service Fee Receivable	41,28,318	10,063
AF Receivable 2015	4,47,698	2,97,158
ASF Receivable (Revival / Enhancement)	-	1,10,63,740
	<b>45,76,016</b>	<b>1,13,70,961</b>
<b><u>Schedule : 7</u></b>		
<b>Receivables</b>		
Prepaid Expenses	82,067	3,85,749
DIS Receivable	-	-
Guarantee Claim Receivable	11,661	3,95,605
Guarantee Fee Receivable	40,316	24,15,562
Cenvat Credit Receivable Provision	6,75,094	7,88,922
Service Tax Reversal	9,59,87,803	7,65,72,058
Service Tax (EC/SHCE)	28,79,349	-
Recoverable from SIDBI/ISARC	-	2,81,245
Service Tax Recoverable	10,07,23,702	10,28,02,322
	<b>20,03,99,992</b>	<b>18,36,41,463</b>
<b><u>Schedule : 8</u></b>		
<b>Amount Recoverable from Tax Authorities</b>		
Income Tax refundable 31/3/07	8,68,43,908	8,68,43,908
Income Tax refundable 31/3/08	3,99,29,054	3,99,29,054
Income Tax refundable 31/3/09	2,21,18,100	2,21,18,100
Income Tax refundable 31/3/13	23,72,09,453	23,72,09,453
Advance Tax, TDS Paid 31/3/10	1,52,88,27,407	1,52,88,27,407
Advance Tax, TDS Paid 31/3/11	51,48,14,555	51,48,14,555
Advance Tax, TDS Paid 31/3/12	-	-
Advance Tax, TDS Paid 31/3/13	2,19,876	2,19,876
Advance Tax, TDS Paid 31/3/14	1,43,95,52,963	1,43,95,52,963
Advance Tax, TDS Paid 31/3/15	43,95,61,396	43,96,00,371
Advance Tax, TDS Paid 31/3/16	43,66,85,299	-
Fringe Benefit Tax Refundable	-	3,55,502
(a)	<b>4,74,57,62,011</b>	<b>4,30,94,71,189</b>
<b>Less: Provision for Tax 31/03/10</b>	1,11,17,62,998	1,11,17,62,998
(b)	<b>1,11,17,62,998</b>	<b>1,11,17,62,998</b>
<b>Amount Recoverable from Tax Authorities (a)-(b)=</b>	<b>3,63,39,99,013</b>	<b>3,19,77,08,191</b>

S C H E D U L E
**Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)**  
**Schedules Forming Part of the Balance Sheet as on 31st March, 2016**

Particulars	As on 31.03.2016 (₹)	As on 31.03.2015 (₹)
<b><u>Schedule : 9</u></b>		
<b>Operating and Other Administrative Expenses</b>		
ACSIC Expenses	470,366	3,27,265
ATP Exp	2,651,703	-
Advertisement & Publicity Expenses	198,001	19,38,533
Auditor's Remuneration	310,000	3,10,000
Board Meeting Expenses	41,425	1,00,371
Conveyance & Vehicle Expenses	392,821	7,39,014
Courier/Postage Charges	120,038	1,20,532
Electricity expenses	1,178,856	3,52,915
Insurance Charges	36,200	19,761
Internal Auditor's Remuneration	285,000	2,85,000
IT service	8,488,320	82,78,439
Interest Expenses	-	4,122,604
Membership Fees	176,320	1,51,549
Miscellaneous Expenses	1,355,503	20,87,083
New Office Shifting Expenses	-	2,06,000
Premises Maint Expenses	864,780	270,443
Office Expenses	1,645,151	28,10,186
Office Rent	14,870,770	99,53,322
Personnel Cost & Expenses	32,296,631	3,25,65,098
Printing & Stationery	867,850	5,95,710
Advocate Fees	295,000	-
Professional Fee	904,900	16,20,000
Security Expenses	249,916	1,41,382
Telephone Expenses	460,229	3,28,243
Travelling Expenses	573,546	12,54,037
	<b>68,733,326</b>	<b>6,85,77,487</b>

## SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AND INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

### Schedule: 10:- NOTES ON ACCOUNTS:

#### 1. Significant Accounting Policies

**a) Accounting Conventions :** The accompanying financial statements have been prepared keeping in view the generally accepted accounting principles continuing historical accounting.

**b) Recognition of Income and Expenditure :** The Trust follows mercantile basis of accounting.

**c) Fixed Assets :** Fixed assets have been stated at cost less depreciation and Rate of depreciation is taken at 100% on computer & software, furniture and fixture, 50% on Electrical appliances and 20% on Motor Car. Depreciation on fixed assets is provided under the straight line method. If any, assets used for less than 180 days in financial year, then depreciation will be charged @50% of the rate applicable to such assets.

**d) Investments :** Investments have been stated at cost, accrued interest thereon. Investments relating to Risk Sharing Fund (RSF) and fund received from the offices of DC (Handloom) and DC (Handicraft), Government of India have been separately stated in the Balance Sheet.

**e) Prior Period Adjustment :** Expenses and income pertaining to earlier / previous years are accounted as prior period items.

**f) Retirement Benefits :** Retirement benefits are provided by SIDBI for its employees on deputation to the Trust and charged to revenue account annually on reimbursement basis.

**g) Deferred Tax:** Deferred tax has not been recognized since there is no reasonable certainty that future taxable income will be available against which deferred tax assets can be realized or deferred tax liabilities can be settled.

2. Cumulatively up to March 31, 2016, the Trust had received 1,17,822 (P.Y. 80950) claim applications from 81 Member Lending Institutions. The Trust had settled 98,272 (P.Y. 63,032) eligible claims for ₹2486.78 Crore (P.Y. ₹1492.58 Crore) mainly towards

first instalment. 46 applications were withdrawn by MLIs. Additional information of security details / subsidy amount, etc. called for in respect of few claims had not been received and therefore claims were temporarily closed. As on March 31, 2016, 1027 (P.Y. 7238) applications were pending for settlement, which have been disposed subsequently.

(₹ in Crores)		
Particulars	As on 31.03.16	As on 31.03.15
Guarantee approval	1,09,598	90,446
Guarantee issued	99,453	81,772
Guarantee sanctioned, pending execution	10145	8460
Outstanding Guarantee	62,318	Not reported earlier
Overall liability of CGTMSE out of O/s Guarantee	45,271	
Liability of CGTMSE towards first claim Instalment	33,953	

Over and above the provision for claims held the Trust is contingently liable for guarantee given/ sanctioned in the event of non-performance of the MSE for whose protection such guarantee is given/ sanctioned.

4. The Trust is availing facility of staff and IT services from SIDBI. As per the Memorandum of Understanding entered into between SIDBI and the Trust on October 04, 2001, the Trust paid service charge @ 20% on the expenses incurred by SIDBI on behalf of the Trust towards administrative expenses directly attributable to the functioning of the Trust till July 2009. However, with mutual decision, the same was withdrawn w.e.f. August 2009.

5. The Trust pays 75% of the settled claim amount in the first instance, leaving balance amount to be paid after the compliances of prescribed legal procedures by MLIs. In 725 cases (P Y 109 cases), subsequent payment of 25% has been made. However in other cases, the MLIs have yet to comply fully the legal requirements making them eligible for the receipt of the balance.

6. Auditor's Remuneration ₹3,10,000/-  
(P.Y. ₹3,10,000/-)



Particulars	(in ₹)	
	Current Year	Previous Year
Audit Fees	2,50,000	2,50,000
Tax Audit Fees	60,000	60,000
Service Tax	44,950	38,316
<b>Total</b>	<b>3,54,950</b>	<b>3,48,316</b>

## 7. Taxation

### 7.1 Direct Taxation

The Trust was notified u/s. 10(23EB) of the Income Tax Act, 1961 ("the Act") by Finance Act 2002 w.e.f. 01.04.2002 and accordingly the income of the Trust was exempt u/s. 10(23EB) of the Act for a period of five years commencing from Assessment Year (A.Y.) 2002-03 to A.Y. 2006-07.

The Trust was registered u/s 12A of the Income Tax Act 1961 and accordingly it had claimed the exemption u/s 11 of the Act for A.Y. 2007-08 and A.Y. 2008-09. While claiming exemption for relevant assessment years, the Trust had accumulated 85% of its income to be spent on the objects of the Trust, in terms of provisions of Section 11(2) of the Act.

The Finance Act, 2008 amended section 2(15) with effect from 1-4-2008 i.e. A.Y. 2009-2010. Accordingly, the Trust had not claimed the benefit of section 11 from A.Y. 2009-2010 onwards. However, the trust has made claim of deduction of 15% u/s 11(1)(a) of the Act during the assessment proceedings.

The Director of Income Tax (Exemptions) – [DIT (E)] had vide order dated 07.12.2011 held that the activities carried out by the assessee trust are in the nature of trade, commerce or business and referring to the amended provisions of section 2(15) of the Act, cancelled the registration granted u/s 12A to the Trust with effect from A.Y. 2009-10. The Trust had preferred an appeal against this order before the Income Tax Appellant Tribunal (ITAT) which has been decided in favour of the Trust vide order dated 28.05.2014. Consequent upon restoration of registration of the Trust u/s 12A of IT Act by the ITAT, the DIT(E) has filed an appeal against the order of ITAT in the High Court of Judicature at Mumbai in November 2014.

While concluding the assessment proceedings for the A.Y. 2009-10, the assessing officer (A.O.) passed the

order u/s 143(3) wherein he disallowed the claim of deduction of 15% u/s 11(1)(a) of the Act. Against the said order, the Trust has filed an appeal before CIT(A) which is pending for disposal. Subsequently, the DIT(E) had passed order u/s 263 of the Act dated 27.03.2014 giving certain directions to the Id. AO to frame the assessment afresh on the basis that the registration granted u/s 12A of the Act to the trust was withdrawn by the DIT(E) on 07.12.2011 w.e.f. assessment year 2009-10. Further, the AO passed the order u/s 143(3) r.w.s 263 of the Income Tax Act dated 27.03.2015, thereby making an addition of ₹ 94,38,84,008/- and ₹ 154,61,77,037/-, being the amount accumulated under section 11(2) during AY 2007-08 and AY 2008-09 respectively and also made an addition of ₹ 156,10,25,000/- being contribution received towards corpus from the Settlers of the Trust during the year by treating it as income on account of voluntary contribution u/s 2(24)(iia) of the Act 1961 and thereby raising a demand of ₹ 306,66,43,175/-. Aggrieved by the order u/s 263, the trust had preferred an appeal before ITAT. The Hon'ble ITAT has allowed the trust's appeal and set aside the order of DIT(E) vide order dated 11.09.2015. The AO has passed order giving effect to the ITAT's order vide order dated 12.02.2016 determining Nil demand.

While concluding the assessment proceedings for the A.Y. 2010-11, the assessing officer has made an addition of ₹ 94,38,84,008/- and ₹ 154,61,77,037/-, being the amount accumulated under section 11(2) during AY 2007-08 and AY 2008-09, respectively and also made an addition of ₹ 166,41,00,000/- being contributions received towards Corpus from the Settlers of the Trust namely, Ministry of MSME, Government of India (GOI) and Small Industries Development Bank of India (SIDBI) during the year on the reasoning that as the registration u/s. 12A of the Trust was withdrawn by the DIT(E), Mumbai w.e.f. A.Y.2009-10, the Trust is not eligible for any benefit of section 11 of the Act. Against the said additions, the Trust had filed an appeal before Commissioner of Income Tax (Appeals). The CIT (A), vide order dated 28.07.2014 held that section 11 of the Act is inapplicable for computation of income during the year and dismissed the appeal holding that the deductions contested therein are not allowable in standalone manner. Aggrieved by the said order of CIT (A), trust has preferred an appeal before the Hon'ble ITAT which is pending for disposal. Against the demand of ₹ 1,74,67,65,531/- raised for A.Y. 2010-11, the Trust was directed by DIT (E) to make an interim payment of ₹ 41.61 Crore in 10 instalments by



March 2014, which was duly paid by the Trust. The balance demand has been stayed by the ITAT pending disposal of the appeal by the ITAT.

While concluding the assessment proceedings for the A.Y. 2011-12, the assessing officer in the order passed u/s 143(3) made an addition of ₹ 250,00,00,000/- being contribution received towards corpus from the Settlers of the Trust during the year by treating it as income on account of voluntary contribution u/s 2(24)(iia) of the Act 1961 and thereby raising a demand of ₹ 102,96,29,441/-. Against the said addition, the Trust has filed an appeal before CIT(A). The Hon'ble CIT(A) has dismissed the appeal following the order of CIT(A) for A.Y. 2010-11. Aggrieved by the order of CIT(A), trust has preferred an appeal before the Hon'ble ITAT which is pending disposal. Out of the demand raised of ₹ 102,96,29,110/-, the trust has paid ₹ 51,48,14,555/- in instalments upto 31.03.2015.

While concluding the assessment proceedings for the A.Y. 2012-13, the assessing officer made an addition of ₹ 2,22,50,000/- being contribution received towards corpus from the Settlers of the Trust during the year by treating it as income on account of voluntary contribution u/s 2(24)(iia) of the Act 1961 and rejecting the claim of deduction u/s 11(1)(a) of the Act and thereby raising a demand of ₹ 10,40,35,270/- which was rectified to ₹ 69,44,000/- vide order dated 13.10.2015 passed u/s 154 of the Act. Against the said addition, the Trust has filed an appeal before CIT(A) which is pending for disposal.

While concluding the assessment proceedings for the A.Y. 2013-14, the assessing officer has made an addition of ₹ 42,77,50,000 being contribution received towards corpus from the Settlers of the Trust during the year by treating it as income on account of voluntary contribution u/s 2(24)(iia) of the Act 1961 and rejecting the claim of deduction u/s 11(1)(a) of the Act determining refund of ₹ 10,48,59,600/- which has been adjusted against the demand due for A.Y. 2011-12. Against the said addition, the Trust has filed an appeal before CIT(A) which is also pending disposal.

## 7.2 Indirect Taxation

The Directorate General of Central Excise Intelligence, Chennai had vide show cause notice dated 14.10.2014 had asked the trust to show cause as to why Guarantee Fee and Annual Service Fees received by the trust should not be considered as

"Support service for Business or Commerce" under Section 65(104c) read with Section 65(105)(zzzq) of Finance Act, 1994 and demand of ₹ 79,68,11,936/- plus interest u/s. 75 and penalty u/s. 76, 77 and 78 should not be raised for the period from FY 2009-10 till June 30, 2012. In response to the said show cause notice, the trust has made its submission on 17.12.2014 and attended personal hearing on 17.04.2015. No order in this regard has been received.

The assessee trust was selected for statutory audit under Rule 5A of Service Tax Rules, 1994 for the period from F.Y. 2010-11 to 2014-15. On the basis of the observations of audit, Assistant Commissioner of Service Tax, Mumbai has issued show cause notice dated 18.04.2016 asking the trust to explain as to why-

- a) The activity of sharing of staff with M/s. SIDBI should not be classified under "Business Support Service" and Service Tax of ₹ 52,156/- along with Interest u/s. 75 should not be demanded and recovered;
- b) Service Tax amounting ₹ 1,74,760/- along with Interest u/s. 75 on the unutilized portion of advances received from the Development Commissioner should not be demanded and recovered;
- c) Interest u/s. 75 of Finance Act, 1994 on delayed payment of Service Tax on adjusted portion of advances received from the Development Commissioner should not be demanded and recovered;
- d) Penalty u/s. 76 for failure to pay service tax within prescribed time and penalty u/s. 78 for suppressing and mis-declaring the taxable activities and true nature and value of taxable services, with intent to evade payment of Service Tax should not be demanded and recovered.

The assessee trust has filed reply dated 19.05.2016 to the said show cause notice and the hearing in the matter is pending.

8. The Trust has obtained report of Actuary giving estimate of liability on outstanding guarantees given. Actuary has evaluated provision for such claims evolving Regression Equation between claims lodged & guarantees issued. On outstanding guarantee amounts as on 31/03/2016 the additional provision suggested by Actuary in his report is ₹ 1020.73 Crore.

Details of provision for such claims are as under:

(in ₹)		
Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance as on 1st April	17,18,62,39,847	13,34,20,17,806
Less: Claim paid during the year	10,04,73,85,154	7,23,60,77,959
Add: Provision made during the year	10,20,73,00,000	11,08,03,00,000
Closing Balance as on 31st March	17,34,61,54,693	17,18,62,39,847

9. Particulars of expenditure in Foreign Currency (on Actual Basis)

(in ₹)		
Particulars	Current Year	Previous Year
Participation Fees (28th ACSIC Conference at Bali - Indonesia)	39,912	58,041
Travelling & Others (In respect of the above conference)	1,62,650	1,21,720
Membership Fees (ADFIAP)	63,820	—

10. Figures of previous year have been regrouped, reclassified and rearranged where ever necessary.

For K.S. Sanghvi & Company  
Chartered Accountants  
ICAI Firm Reg. No.116714W

(Tapan Sanghvi, M.No.122244)  
Partner

Place: Mumbai  
Date: August 25, 2016

(S.N. Tripathi)  
Vice Chairman

On behalf of the Board of Trustees

Sd/-  
(Dr. Kshatrapati Shivaji)  
Chairman

(Pradeep Malgaonkar)  
Member Secretary





## NOTES

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

## NOTES

[illegible]



# Proud Moments



MoU signing ceremony with Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)



Interaction with Indonesian Delegates





सी.जी.टी.एम.एस.ई. का पंजीकृत कार्यालय  
1002-1003, नमन सेन्टर, दसवीं मंजिल,  
प्लोट क्र. सी-31, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,  
बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई-400 051  
दूरभाष : +91-22-61437803, 04, 05, 06, 07  
फैक्स : +91-22-26541821  
वेबसाइट : [www.cgtmse.in](http://www.cgtmse.in)

Registered Office of CGTMSE  
1002-1003, Naman Centre, 10th Floor,  
Plot No. C-31, G-Block, Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai - 400 051  
Tel.: +91-22-61437803, 04, 05, 06, 07  
Fax : +91-22-26541821  
Website : [www.cgtmse.in](http://www.cgtmse.in)